

फर्नीचर दुकान में लगी भीषण आग, गैस सिलिंडर ब्लास्ट होने से सहमे लोग

आसपास के दुकान जलकर खाक, एक करोड़ से अधिक की पहुंची क्षति

छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर। शहर के अम्बेडकर चौक में स्थित दुकानों में हुई भीषण आगजनी से एक करोड़ से अधिक का सामान जलकर खाक हो गया। घटना मंगलवार अलसुबह गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई। भीषण आग की शुरुआत फर्नीचर शोरूम से हुई, जिसने देखते ही देखते आसपास की सभी दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। इस बीच रसोई गैस सिलिंडर के ब्लास्ट होने से ऐसा धमाका हुआ, कि दूर-दूर तक आवाज गुंज गई, आसपास रहने वाले लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। सिलिंडर का धमाका होने के बाद आग और अधिक भड़क गई। सूचना मिलने पर अग्निशामक वाहन के साथ फायर स्टेशन के कर्मचारी पहुंचे, और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। भीषण आग को बुझाने के लिए एयरपोर्ट, पुलिस के वज्र वाहन और अडानी के वाहनों का सहारा लेना पड़ा। आग की तीव्रता देखकर आसपास स्थित दुकानों के संचालक भी सहमे हुए थे। दीवार मं होने से अंदर रखे सामानों के खाव होने का खतरा बना हुआ था। आग लगने का प्रारंभिक कारण शार्ट-सर्किट माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अम्बेडकर



चौक से लगा मनेन्द्रगढ़ रोड निवासी राकेश अग्रवाल का मारुति फर्नीचर नामक फर्म है। इससे लगा मारुति ऑटो, सक्षम ई-रिक्शा, निहारिका ऑटो डील, सेकेंड हैंड दोपहिया वाहनों सहित अन्य दुकानें हैं। सोमवार की रात को दुकान संचालक रोजाना की भांति अपनी दुकानें बंद करके घर चले गए थे। मंगलवार को अलसुबह करीब 4.30 बजे उन्हें मोबाइल फोन पर किसी राहगीर ने दुकान में आग लगने की सूचना दी। जब वे मौके पर पहुंचे तो उनके दुकान का करीब 20 प्रतिशत हिस्सा पूरी तरह से आग की चपेट में आ गया था। आग की लपटें काफी ऊंचाई को छू रही थी, जिसे देखकर आसपास मौजूद लोग सहम गए। इसकी सूचना डायल 112, अग्निशामक



आग पर काबू करने में लग गए लगभग 5 घंटे घटना की सूचना मिलते ही मौके पर होमगार्ड के अग्निशमन विभाग की एक-एक करके पांच वाहनों पहुंची। स्थिति को काबू में करने के लिए एयरपोर्ट से आग बुझाने के लिए विशेष दमकल वाहन को बुलाया गया, वहीं पुलिस विभाग के वज्र वाहन, अडानी के अग्निशामक वाहन को भी बुलाया गया था ताकि आग बुझाने का क्रम न टूटने पाए। सभी ने संयुक्त रूप से आग बुझाने पूरी ताकत झोंक दी, जिससे बेकाबू आग की तीव्रता कम हुई और आसपास के अन्य दुकान सुरक्षित रहे। करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। राहत की बात यह रही कि भीषण अग्निकांड में कोई हताहत नहीं हुआ। आग लगने का वास्तविक कारण सामने नहीं आया है। एक ओर शार्ट-सर्किट की बात हो रही है, वहीं फर्नीचर फैक्ट्री में काम करने वाले कारीगरों और इनके सहयोगियों के द्वारा आग जलाकर तापने जैसी बातें भी सामने आई हैं।



अग्निशमन विभाग की व्यवस्था चरमराने का आरोप अम्बेडकर चौक में स्थित दुकानों में आग लगने की सूचना अलसुबह 4.45 बजे अग्निशामक विभाग को मिली थी, ऐसा दमकल वाहनों के साथ आए कर्मचारियों का कहना था। वहीं आग करीब 3.30 से 04 बजे के बीच दुकान में लगने की चर्चा हो रही थी। दुकान संचालक मनोज अग्रवाल और राकेश अग्रवाल का कहना है कि 4 बजे दुकान में आग लगने की सूचना मिलने के बाद 4.10 में उन्होंने अग्निशामक विभाग को अवगत करा दिया था, इसके बाद एक दमकल वाहन पहुंची, जिसका नोजल नहीं काम कर रहा था। दूसरी वाहन को आने में एक घंटे लग गए। हालांकि इसके बाद अग्निरोधक दस्ते ने तत्परता दिखाते हुए आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की। दुकान संचालकों का आरोप है कि अग्निशमन विभाग के जाने के बाद पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। बीते वर्ष 5 नवम्बर को उनके गोदाम में भी आग लगने की घटना हुई थी, इस दौरान एक दमकल वाहन को भेजा गया, जबकि 9 दमकल पानी लगा, और 4-5 घंटे बाद आग बुझाने में सफलता मिल पाई थी।

शासकीय राशि गबन करने के मामले में वर्षों से फरार तत्कालीन जनपद सीईओ गिरफ्तार

विभिन्न निर्माण कार्यों के नाम पर किया था 30 लाख से अधिक का वारा-न्यारा

छ.ग.फ्रंटलाइन बलरामपुर। वित्तीय वर्ष 2014-15 में जनपद पंचायत वाड्फनगर क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में मुख्य मिट्टी, सड़क एवं अन्य निर्माण कार्यों के नाम पर फर्जी बिल लगाकर शासकीय राशि गबन करने के मामले में पुलिस ने वर्षों से फरार चल रहे तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इनके द्वारा 30 लाख रुपये से अधिक की शासकीय राशि का वारा-न्यारा किया गया था। जानकारी के मुताबिक पुलिस चौकी वाड्फनगर में धारा 467, 468, 409, 420 एवं 34 भारतीय दंड संहिता के मामले में आरोपी श्रवण कुमार मरकाम पिता बिकाऊ मरकाम 62 वर्ष, निवासी शिव मंदिर महुआपारा, गांधीनगर अम्बिकापुर के विरुद्ध



अपराध दर्ज किया गया था। आरोपी उस समय जनपद पंचायत वाड्फनगर में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर पदस्थ रहा। पुलिस के अनुसार, ग्राम पंचायत तुंगवा, गुडरू, जमई एवं पेंडारी में मुख्य मिट्टी, सड़क सह-पुलिया, तटबंध एवं डब्ल्यूवीएम निर्माण के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर शासकीय राशि का गबन किया गया था। इस संबंध में वर्ष 2020 में तत्कालीन सीईओ द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना

प्रारंभ की गई थी। मामले में पूर्व में कार्यक्रम अधिकारी (मनरेगा) अश्विनी कुमार तिवारी सहित सप्लायर हरिहर यादव, कुंजलाल साहू एवं रोजगार सहायक गिरिश यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है। विवेचना दौरान धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कथन दर्ज कराए गए, जिसमें अश्विनी कुमार तिवारी ने तत्कालीन सीईओ श्रवण कुमार मरकाम के साथ मिलकर 30 लाख 02 हजार 449 रुपये गबन करना स्वीकार किया था। लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी श्रवण कुमार मरकाम को हिरासत में लेकर पुलिस पृच्छाछ की, तो वह अपना जुर्म स्वीकार किया। इसके बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

कलेक्टर से मिलने आश्रम के बच्चे पैदल निकले, तहसीलदार के समझाने पर वापस लौटे

प्राचार्य पर टॉयलेट-बाथरूम साफ कराने और दुर्व्यवहार करने का लगाया आरोप



छ.ग.फ्रंटलाइन बलरामपुर। जिले के कोरवा आश्रम भेलवाडीह स्थित बालक छात्रावास में प्रशासनिक फैसले के विरोध में शुकुवार को छात्र सड़कों पर उतर आए। ये बच्चे छात्रावास अधीक्षक उमा सोनवानी को हटाने से नाराज थे और कलेक्टर से मुलाकात की मांग को लेकर लगभग 4 किलोमीटर पैदल मार्च शुरू कर दिया। छात्रों के आश्रम से निकलने की सूचना मिलते ही ट्राइबल विभाग में हड़कंप मच गया। मौके पर पुलिस, ट्राइबल विभाग से एसी समीक्षा जयसवाल, तहसीलदार सुनील गुप्ता एवं मंडल संयोजक पहुंचे और छात्रों को समझाने का प्रयास किए। छात्रों ने प्राचार्य सुफला टोप्पो पर गंभीर आरोप लगाए। इनका कहना है कि उनसे टॉयलेट और बाथरूम की सफाई कराई जाती है, समय पर गुणवत्तापूर्ण भोजन नहीं मिलता है और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। छात्रों ने कहा कि उन्हें कलेक्टर से सीधे मिलना है और उनके साथ हो रहे अन्याय से अवगत कराना है। काफी समझाइश के बाद छात्र वापस छात्रावास लौटने के लिए राजी हो गए। अधिकारियों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करायें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है, और उन्हें भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने देने की बात कही है। फिलहाल सभी छात्र सुरक्षित रूप से छात्रावास भेज दिए गए हैं। विभागीय अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है।

लाइसेंसी बंदूक लूटकर भागने वाला आरोपी कांसाबेल से गिरफ्तार

छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर। लाइसेंसी बंदूक लूटपाट के आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर कांसाबेल से गिरफ्तार करके बंदूक बरामद कर लिया है।



जानकारी के मुताबिक जशपुर जिला के दुलदुला थाना अंतर्गत ग्राम टेड़ापहाड़ निवासी अमोद कुमार एक्का, हाल मुकाम प्रतापपुर नाका अम्बिकापुर ने थाना गांधीनगर में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि वह पंजाब एंड सिंध बैंक शाखा अम्बिकापुर में सुरक्षा गार्ड का काम करता है। 08 फरवरी को दोपहर करीब एक बजे वह अपने पुराने किराए के मकान नवापारा से नए किराए के रूम में सामान शिफ्ट करने के लिए आंटी में घर का सामान लोड करने के बाद अपने परिवार के लोगों को साथ भेज दिया। आंटी में जगह नहीं होने के कारण स्वयं अपना डबल बैरल लाइसेंसी बंदूक को कंधे में टांगकर पैदल नए किराए के रूम की ओर जा रहा था। नवापारा कुम्हारपारा ढलाने के पास एक व्यक्ति पीछे से आकर पूछा कि कहां जाना है, पैदल क्यों जा रहे हो, चलो जहां जाना होगा वहां छोड़ देंगे। इसके बाद वह अपने मोटरसाइकल में बैठने के लिए

बोला। जैसे ही वह अनजान व्यक्ति के मोटरसाइकल में बैठने को हुआ उसी समय उक्त व्यक्ति डबल बैरल लाइसेंसी बंदूक लूटकर मौके से फरार हो गया। आसपास तलाश के बाद भी वह नहीं मिला। मामले में थाना गांधीनगर में धारा 309(4) बी.एन.एस. का अपराध दर्ज कर पुलिस ने विवेचना में लिया था। मामले को संज्ञान में लेकर डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश कुमार अग्रवाल ने पुलिस टीम को त्वरित कार्रवाई करने और आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में पुलिस टीम आरोपी के तलाश में लगी थी। साइबर सेल, कोतवाली एवं थाना गांधीनगर पुलिस टीम के सतत प्रयास से आरोपी जयपाल लकड़ा पिता स्व. चमरू लकड़ा 45 वर्ष निवासी महादेवडांड बोसबहरी

जन्म से नहीं था बछिया का मलद्वार, सर्जरी करके एमव्हीयू की टीम ने दी राहत

पशुपालक ने टोल फ्री पर कॉल करके दी थी इसकी जानकारी

छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर। टोल फ्री नम्बर पर आए पशुपालक के कॉल के बाद मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई (एमव्हीयू) गांव पहुंची और जन्म के बाद से ही गुदाद्वार, मलाशय विहीन बछिया का सर्जरी किया। मामला सूरजपुर जिला व विकासखंड के ग्राम रामपुर का है। जानकारी के मुताबिक 10 फरवरी को ग्राम रामपुर से पशुपालक रजमेन के द्वारा 1962 टोल फ्री नंबर में एक इमरजेंसी फोन किया था, जिसमें वह तीन दिन पहले गाय के द्वारा तीन दिन पहले जन्म दी गई बछिया में गोकर्ण करने के लिए कहा गया। बछिया की परेशानी को पशुपालक से जानने के बाद उन्हें समझ में आ गया कि गुदाद्वार/मलाशय के नहीं होने का उपचार केवल सर्जरी है। इधर पशुपालक परेशान थे, उन्हें समझ में



नहीं आ रहा था कि क्या करें? इन्हें चलित पशु चिकित्सा इकाई के बारे में पड़ोसी से जानकारी मिली थी और उन्होंने 1962 में फोन करके अपना केस पंजीकृत कराया था। इमरजेंसी केस का कॉल आने पर सूरजपुर ब्लॉक के मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई से डॉ. प्रशांत कुमार उपाध्याय, पैरावेट (एव्हीएफओ) संदीप साहू पायलट अरुण पांडेय के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे और बछिया का ऑपरेशन करके गोबर करने का रास्ता बनाया। गोबर आसानी से पास होने के बाद पशुपालक ने राहत की सांस ली, और मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई का आभार व्यक्त किया।

छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर। उपमुख्यमंत्री एवं पंचायत मंत्री विजय शर्मा के मंशानुरुप छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के मुख्य अभियंता हरिओम शर्मा द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जिलों में सड़कों के निर्माण एवं संधारण कार्यों का गुणवत्ता परीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला सरगुजा के विकासखंड मैनापट एवं बतौली में निर्माणाधीन तथा संधारणाधीन सड़कों का निरीक्षण किया गया। मुख्य अभियंता ने निरीक्षण के दौरान स्पष्ट निर्देश दिए कि सड़क निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिकता रहे तथा किसी भी स्तर पर तकनीकी मानकों से

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्माण कार्यों का मुख्य अभियंता ने किया निरीक्षण, गुणवत्ता पर जोर

विधिवत संधारण भी अनिवार्य रूप से किया जाए। तकनीकी त्रुटि पाए जाने पर तत्काल सुधार के निर्देश विकासखंड बतौली अंतर्गत सल्याडीह से टिकरापारा मार्ग (लंबाई 1.5 किमी) के निरीक्षण के दौरान प्रगतिरत डब्ल्यूएमएम कार्य में लगभग 600 मीटर लंबाई में तकनीकी सुधार की आवश्यकता पाई गई। इस पर मुख्य अभियंता ने संबंधित हिस्से को स्कारिफाई कर निर्धारित कैम्बर एवं प्रोफाइल के अनुरूप नवीन डब्ल्यूएमएम सामग्री से पुनः निर्माण करने के निर्देश कार्यपालन अभियंता को



दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि संबंधित उप अभियंता के विरुद्ध कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाए।

मेटेनेंस कार्यों की भी समीक्षा मुख्य अभियंता ने विकासखंड बतौली अंतर्गत बतौली बगीचा मार्ग से बांसाडाल मार्ग के संधारण कार्यों का निरीक्षण कर आवश्यक सुधार कार्य शीघ्र कराने के निर्देश दिए। इसी प्रकार बतौली बगीचा मार्ग से स्कूलपारा मार्ग में निर्धारित मेटेनेंस कार्य नहीं पाए जाने पर संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए सड़क के संधारण अबाध में छह माह की वृद्धि कर आवश्यक रख-रखाव कार्य सुनिश्चित कराने के निर्देश

दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिन ठेकेदारों द्वारा निर्धारित मेटेनेंस कार्य समय पर नहीं किया जाएगा, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, संधारण अबाध बढ़ाकर कार्य पूर्ण कराया जाएगा। मुख्य अभियंता हरिओम शर्मा ने दोहराया कि सड़क निर्माण कार्य सीधे ग्रामीणों के जनजीवन से जुड़ा है। अतः निर्माणाधीन कार्यों को गुणवत्ता, समयबद्ध क्रियान्वयन तथा संधारणाधीन सड़कों के नियमित रख-रखाव में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। गुणवत्ता में कमी या मानकों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित ठेकेदार एवं उत्तरदायी अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

मदनपुर में शिव प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विविध अनुष्ठान

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन बिश्रामपुर। ग्राम पंचायत मदनपुर में इन दिनों आस्था, भक्ति और उत्सव का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। वर्षों की श्रद्धा, संकल्प और सामूहिक प्रयास के फलस्वरूप नवनिर्मित श्री श्री 1008 शिव मंदिर का भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 10 से 15 फरवरी तक ग्राम के स्कूल ग्राउंड परिसर में धूमधाम और वैदिक रीति-रिवाजों के साथ आयोजित किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक आयोजन को लेकर पूरे गांव के साथ-साथ आसपास के अंचलों में भी भारी उत्साह का वातावरण है। ग्रामीणों ने बताया कि यहां पर छह दिवसीय धार्मिक अनुष्ठानों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है, जिसमें श्रद्धालुओं को भक्ति, साधना और सेवा का अनुभव अवसर मिलेगा प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान ग्राम पंचायत मदनपुर को भव्य रूप से सजाया गया है। सुबह से शाम तक भजन-कीर्तन, मंत्रोच्चारण और धार्मिक वातावरण से पूरा क्षेत्र शिवभक्ति में सरबोर हो गया है। यहां पर 10 फरवरी मंगलवार को कलश यात्रा से शुभारंभ किया गया। 11 फरवरी बुधवार को अखंड रामायण पाठ का शुभारंभ प्रातः 11 बजे से होगा। 12 फरवरी गुरुवार को अखंड रामायण का समापन प्रातः 11 बजे हवन-पूजन के साथ संपन्न होगा। 13 फरवरी शुक्रवार को शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठा समारोह, प्रातः 9 बजे वैदिक मंत्रोच्चारण एवं विधि-विधान के साथ संपन्न होगा। 14 फरवरी शनिवार को भजन-कीर्तन मंडली द्वारा संगीतमय प्रस्तुति प्रातः 9 बजे से किया जाएगा। 15 फरवरी रविवार को महाशिवरात्रि के अवसर पर विशेष शिव पूजन प्रातः 9 बजे तथा रात्रि 7 बजे से भव्य जगन्नाथ का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव के दौरान 10 से 15 फरवरी तक प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से भंडारे का आयोजन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से संवर रहा बेटियों का भविष्य 150 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। जिले में सामाजिक समरसता और बेटियों के सम्मान का प्रतीक मुख्यमंत्री कन्या विवाह समारोह गरिमामय वातावरण में आयोजित किया गया। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में आयोजित इस भव्य विवाह समारोह के अंतर्गत 150 जोड़े एक साथ वैवाहिक जीवन के पवित्र बंधन में बंधे। जिसमें 145 जोड़ों का हिन्दू रीति रिवाज एवं 5 जोड़ों का क्रिश्चियन विधि से विवाह संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय वरुचल माध्यम से जुड़कर नवविवाहित जोड़ों को शुभाशीष प्रदान किया और उनके सुखद दाम्पत्य जीवन की कामना की। जिला स्तरीय मुख्यमंत्री कन्या विवाह समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सामरी विधायक श्रीमती उधेश्वरी पैकरा शामिल हुईं। जिन्होंने नवदम्पतियों पर पीले चावल और पुष्प वर्षा कर नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने भी आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर सामरी विधायक श्रीमती उधेश्वरी पैकरा ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत 35 हजार का चेक प्रदान किया। इस दौरान राज्य पिछड़ा आयोग सदस्य श्री कृष्णा गुप्ता, रेडक्रॉस सोसायटी के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जायसवाल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री धीरज सिंह देव, नगरपालिका अध्यक्ष श्री लोधी राम एका, उपाध्यक्ष श्री दिलीप सोनी, जनपद अध्यक्ष सुश्री सुमित्रा चेखा, जनपद अध्यक्ष शंकरगढ़ श्रीमती

चिंतामणि भगत, उपाध्यक्ष श्रीमती बबली देवी, जनपद सदस्य सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। वरुचल रूप से कार्यक्रम में



जुड़कर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने नवदम्पतियों को आशीर्वाद देते हुए उनके मंगलमय और सुखद दाम्पत्य जीवन की कामना की। इस दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि आज प्रदेश में विवाह कार्यक्रम सम्पन्न हो रहे हैं, जिनका हजारां दंपति नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल सभी नवविवाहित जोड़ों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। इस अवसर मुख्यमंत्री ने बताया कि सामूहिक विवाह के माध्यम से एक साथ 6414 जोड़े वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह द्वारा की गई थी। योजना

निम्न वर्गीय एवं ग्रामीण परिवारों के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध हुई है, क्योंकि बेटियों के विवाह को लेकर परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना

पड़ता था और कई बार उन्हें कर्ज तक लेना पड़ता था। इस योजना के माध्यम से निम्नवर्गीय परिवारों की बेटियों का विवाह सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि योजना के 20 वर्ष पूर्ण होने तथा रजत जयंती वर्ष के अवसर पर अब तक योजना अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि में 10 गुना वृद्धि की गई है। वर्तमान में हितग्राहियों को 35 हजार रुपये की राशि का चेक प्रदान किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने का उल्लेख करते हुए कहा कि मोदी की गारंटी के तहत किए गए सभी वादों को पूरा करने का निरंतर प्रयास किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं, किसानों को बकाया बोनस दिया गया है, वहीं 70 लाख से अधिक महिलाएँ, महतारी वंदन योजना का लाभ ले

रही हैं। बस्तर और सरगुजा संभाग में तेंदूपत्ता संग्रहण की दर बढ़ाकर 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री दर्शन योजना सहित

के लिए वरदान सिद्ध हो रही हैं। अब तक हजारों बेटियों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। श्रीमती पैकरा ने कहा कि बेटियों के विवाह के लिए परिजन अब विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रदेशवासियों को लाभान्वित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनहित से जुड़े सभी वादों को चरणबद्ध रूप से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और आगे भी इसी भावना के साथ कार्य करती रहेगी। सामरी विधायक श्रीमती उधेश्वरी पैकरा ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल 150 नवदम्पति जोड़ों को दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य शासन बेटियों के भविष्य को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कन्या विवाह जैसी सामाजिक सरोकार से जुड़ी योजनाएं प्रदेश की गरीब एवं असहाय परिवारों

निश्चित हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सभी वर्गों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विभाग सुश्री बिस्मिता पाटले, विभागीय अधिकारी-कर्मचारी, मीडिया प्रतिनिधिगण, नव दम्पतियों के परिजन तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

बिश्रामपुर में आरक्षक ने फांसी लगाकर दी अपनी जान

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन बिश्रामपुर। सरगुजा जिले के पुलिस महकमे को सोमवार देर रात उस वक्त गहरा आघात पहुंचा, जब जिला पुलिस लाइन में पदस्थ 36 वर्षीय आरक्षक ने अपने ही कार्टर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बिश्रामपुर पुलिस ने बताया कि चोपड़ा कॉलोनी बिलासपुरहा लाइन कार्टर नंबर 788 निवासी आरक्षक अंतोश खलखो पिता स्व. नवल साय खलखो बैच नंबर 842 वर्तमान में जिला



बल सूरजपुर में पदस्थ थे और बीते दो माह से मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में ड्यूटी कर रहे थे। आरक्षक अंतोश तीन दिन का अवकाश लेकर सोमवार को अपने निवास चोपड़ा कॉलोनी, बिलासपुरहा लाइन पहुंचे थे। पुलिस ने बताया कि सोमवार शाम उन्होंने अपने घर के बगल में स्थित ससुराल में भोजन कर अपने कार्टर लौट आया था। रात करीब 10 बजे जब उनकी पत्नी अपने माता-पिता के घर से लौटकर अपने कार्टर पहुंची, तो उसने सामने वाले कमरे में अपने पुट के पंखे से लटकते हुए देखा। आरक्षक ने आयरन तार से फंदा बनाकर फांसी लगा ली थी। पत्नी के शोर मचाने पर आसपास के

विधानसभा सत्र के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। छत्तीसगढ़ के षष्ठ्य विधानसभा का अष्टम सत्र 23 फरवरी 2026 से 20 मार्च 2026 तक आहूत किया गया है। सत्र के दौरान प्राप्त होने वाले तारांकित/अतारांकित विधानसभा प्रश्नों, स्थान, शून्यकाल, आक्षासर्ण, ध्यानाकर्षण, अशासकीय संकल्प, याचिका आदि की जानकारी निर्धारित समयविधि में शासन को प्रेषित किये जाने हेतु कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा के द्वारा अपर कलेक्टर श्री आर.एस. लाल को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

राइस मिल से ग्रामीणों का जीना दूधर, प्रदूषण व स्वास्थ्य संकट को लेकर पंचायत ने की कार्रवाई की मांग

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन बिश्रामपुर। ग्राम पंचायत तेलईकछार के घने आबादी क्षेत्र में संचालित राइस मिल को बंद कराने एवं उसका चावल संयंत्र स्थापित व उसके विस्तारिकरण में रोक लगाने कलेक्टर को जनदर्शन में ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि ग्राम पंचायत तेलईकछार अंतर्गत करीब 3 से 4 राइस संचालित हो रहे हैं, परंतु शेष राइस मिल आवासीय क्षेत्र से दूर स्थित है।

गणेश सत्या नामक राइस मिल ग्राम के घने आबादी क्षेत्र में ही संचालित हो रहा है, जिस कारण स्थानीय लोगों को गंभीर समस्या से जूझना पड़ रहा है। ऐसी भी जानकारी प्राप्त हुई है कि उक्त राइस मिल संचालक द्वारा अपने उद्योग का विस्तारीकरण करके उसमें उसका चावल का संयंत्र स्थापित किया जाना है, जो कि ग्रामीण

परिवेश एवं जीवन शैली को शत प्रतिशत प्रभावित करेगा। वर्तमान समय में ही संचालित उक्त राइस मिल से ग्रामीणों को स्वास्थ्यगत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही गांव में प्रदूषण का मुख्य कारण भी यही राइस मिल साबित हो रहा है। इस राइस मिल से निकलने वाले धूपा एवं उसके सूक्ष्म कणों के कारण ग्रामीणों को श्वसन संबंधी बिमारी उत्पन्न हो रही है। राइस मिल से निकलने वाली प्रदूषित धुआं वातावरण को दूषित कर रही है। जो कि निकट भविष्य में गंभीर बिमारियों का संकेत है। राइस मिल के प्रदूषण के कारण क्षेत्र में बिमारी लगातार बढ़ रही है। करीब एक वर्ष पहले डस्ट एलर्जी में एक ग्रामीण महिला को मौत भी हो चुकी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत बनी हुई ग्रामीण मार्ग से

भारी वाहनों का लगातार आवागमन होने से लगभग सड़क क्षतिग्रस्त हो चुकी है, चूँकि लगभग 5 ग्राम पंचायतों के स्कूली बच्चे भी इसी मार्ग से रोजाना स्कूल आते-जाते हैं। भारी वाहनों के आवागमन के कारण दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। साथ ही राइस मिल निकलने वाली हानि कारक अपशिष्ट पदार्थों के कारण फसलें भी खराब हो रही हैं। गणेश सत्या राइस मिल में कार्य कर रहे 10 प्रतिशत कर्मचारी बाहरी प्रदेश के हैं। जिनकी गतिविधि में संदिग्धता रहने की आशंका भी जताई गई है। राइस मिल संचालक द्वारा कभी भी ग्राम पंचायत को राइस मिल में कार्य कर रहे बाहरी मजदूरों की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाती है। ज्ञापन में मांग की गई है कि उक्त राइस मिल को यथाशीघ्र पूर्ण रूप में बंद कराई जाए।

विधानसभा के दृष्टिगत अवकाश पर प्रतिबंध

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। छत्तीसगढ़ विधानसभा के षष्ठ्य विधानसभा का अष्टम सत्र सोमवार 23 फरवरी 2026 से प्रारंभ होकर शुक्रवार 20 मार्च 2026 तक आहूत किया गया है। इस संबंध में कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा के द्वारा उक्त विधानसभा सत्र के सफल संचालन एवं आवश्यक शासकीय कार्यों के निर्वहन को दृष्टिगत रखते हुए आदेश जारी होने की तिथि से 20 मार्च 2026 तक जिले में पदस्थ समस्त शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगाया गया है।

विधानसभा सत्र की अर्वाधि में समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी अपने-अपने कार्यालय/मुख्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे। अत्यावश्यक कार्य अथवा अपरिहार्य परिस्थितियों में अवकाश पर जाना अथवा मुख्यालय छोड़ना आवश्यक होने की स्थिति में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के अवकाश की स्वीकृति संबंधित विभाग के कार्यालय प्रमुख द्वारा दी जाएगी तथा जिला स्तरीय अधिकारियों के अवकाश की स्वीकृति कलेक्टर से पूर्व में लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अनुमति प्राप्त किए बिना कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी अवकाश पर स्थान नहीं करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

संभाग स्तरीय रोजगार मेला 16 एवं 17 फरवरी को अम्बिकापुर में आयोजित

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, छत्तीसगढ़ से प्राप्त निर्देशानुसार सरगुजा संभाग के मुख्यालय अम्बिकापुर, में संभाग स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन 16 एवं 17 फरवरी 2026 को किया जाना प्रस्तावित है। इस रोजगार मेले का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा निजी क्षेत्र के नियोजकों को उपयुक्त मानव संसाधन प्रदान करना है। इस संबंध में जिला रोजगार अधिकारी ने बताया है कि उक्त रोजगार मेले में ऐसे निजी क्षेत्र (प्राइवेट संस्था) के नियोजकों को

जिले की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का बेहतर अवसर सरगुजा ओलंपिक : श्रीमती पैकरा

सामरी विधायक ने किया तीन दिवसीय जिला स्तरीय खेल का शुभारंभ



बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। जिले में खेल संस्कृति को सशक्त करने और ग्रामीण ओलंपिक की छिपी खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित जिला स्तरीय सरगुजा ओलंपिक प्रतियोगिता का शुभारंभ स्वामी आत्मानंद हिन्दी माध्यम विद्यालय के खेल मैदान में सामरी विधायक श्रीमती उधेश्वरी पैकरा के द्वारा किया गया। सर्वप्रथम उन्होंने दीप प्रज्वलन कर प्रतियोगिता की औपचारिक शुरुआत करते हुए खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान जनपद अध्यक्ष सुश्री सुमित्रा चेखा, जनपद अध्यक्ष शंकरगढ़ श्रीमती चिंतामणि भगत, पूर्व जनपद उपाध्यक्ष श्री भानु प्रकाश

दीक्षित सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। जिला स्तरीय सरगुजा ओलंपिक के शुभारंभ अवसर पर विधायक श्रीमती उधेश्वरी पैकरा ने कहा कि सरगुजा ओलंपिक के माध्यम से जिले की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का बेहतर अवसर मिल रहा है। उन्होंने बताया कि विकासखंड स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सोनियर एवं जूनियर वर्ग के खिलाड़ी जिला स्तर तक पहुंचें हैं, जो 12 फरवरी 2026 तक तीन दिवसीय प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। श्रीमती पैकरा ने अपने स्कूली जीवन को स्मरण करते हुए कहा कि विद्यार्थी जीवन में उन्होंने भी विभिन्न खेलों में भाग

लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। उन्होंने खिलाड़ियों को प्रेरित करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ-साथ खेलों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करना आवश्यक है। खेल व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने खिलाड़ियों से खेल भावना, अनुशासन एवं समर्पण के साथ प्रतियोगिताओं में भाग लेने का आह्वान किया और सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

जनपद अध्यक्ष सुश्री चेखा ने कहा कि जब जिले के बच्चे आगे बढ़ेंगे, तभी विकासखंड एवं जिले का नाम रोशन होगा। उन्होंने प्रतियोगिता में भाग ले रहे सभी खिलाड़ियों

को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। पूर्व जनपद उपाध्यक्ष श्री भानुप्रकाश दीक्षित ने कहा कि जिले के छह विकासखंडों से विभिन्न विधाओं में चयनित खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करते हुए जिला स्तर तक पहुंचें हैं, जो सराहनीय है। उन्होंने चयनित खिलाड़ियों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। श्री दीक्षित ने कहा कि खेल न केवल शारीरिक कौशल को विकसित करते हैं, बल्कि मानसिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने बताया कि सामूहिक खेलों में टीम भावना और सहयोग की भावना विकसित होती है, जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। उन्होंने भारतीय खेल प्रतिनिधियों का उदाहरण देते हुए खिलाड़ियों को उनसे प्रेरणा लेने की बात कही और खेलेगा बलरामपुर, बढ़ेगा बलरामपुर के संदेश के साथ आगे बढ़ने की बात कही। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन करने शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर सहायक संचालक श्री रामपत यादव, खेल अधिकारी श्री मार्कुश कुचूर सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में चयनित खिलाड़ी प्रतिभागी उपस्थित थे।

देश के विकास और सुरक्षा में युवाओं की भूमिका अहम

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन बिश्रामपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर युवा सम्मेलन का आयोजन खंड स्तर पर सरस्वती शिशु मंदिर बिश्रामपुर में संपन्न हुआ। बिश्रामपुर खंड अंतर्गत सभी ग्रामों के प्रतिभावान

युवाओं एवं युवतियों का सम्मेलन किया गया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य युवाओं में ध्येयनिष्ठ कार्य, लक्ष्य जीवन की ओर अग्रसर करना, युवा में राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना, समाज के विभिन्न क्षेत्र में कार्य कर रहे



युवाओं को संघ दर्शन करना, युवाओं में अपनी संस्कृति परंपरा का सम्मान और गर्व हो आयोजन का मुख्य उद्देश्य था। कार्यक्रम में वक्ता के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक नागेश नाथ योगी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि के रूप में युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर अभिषेक सिन्हा एवं सुश्री माधुरी देवांगन मंचासीन रहे। मुख्य वक्ता ने कहा कि देश के विकास और सुरक्षा में युवाओं की अहम भूमिका है। युवाओं में सकारात्मक विचार समाज के भविष्य का निर्धारण करते हैं,

युवाओं में संस्कार हो, युवा चरित्रवान हो इसके लिए घर परिवार और समाज की अहम भूमिका होती है, राष्ट्र की ऊर्जा युवा मन और युवा विचार होता है, युवाओं को अगर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो पूर्णता नशे से दूर रहना पड़ेगा। जिज्ञासा समाधान में युवाओं के द्वारा अनेकों प्रश्न किए गए जिसमें मुख्य वक्ता के द्वारा सभी प्रश्नों के सटीक उत्तर दिए गए। सम्मेलन में प्रतिभावान युवाओं द्वारा भजन, गीत संगीत, नृत्य का आयोजन किया गया जो मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। आयोजन में राह जिला संघचालक सत्यम गर्ग, धर्मजागरण प्रत प्रशासनिक प्रमुख ठाकुर राजवाड़े, विभाग महाविद्यालय प्रमुख निलेश नाविक, सह जिला कार्यवाह विजय शर्मा, सह जिला शारीरिक शिक्षण प्रमुख खिलेन्द वैष्णव, सह खंड कार्यवाह योगेंद्र राजवाड़े, रचना सिंह, शशि राजवाड़े, ओम प्रकाश, मनीष, तीर्थ राजवाड़े, विवेक जायसवाल, अमित मित्तल, श्यामू साहू, देवा राजवाड़े, चंदन गुप्ता व अन्य उपस्थित थे।

शिक्षा विभाग के अधिकारी आरटीआई कानून की उड़ा रहे धजियाँ, प्रेमनगर बीईओ पर आरोप

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

सूरजपुर। जिले के शिक्षा विभाग में सूचना का अधिकार अधिनियम को जिस बेखौफ तरीके से रौंदा जा रहा है, उसने प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ आरटीआई कानून केवल कागजों तक सिमट कर रह गया है और प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेशों को विभागीय अधिकारी खुलेआम टेंगा दिखा रहे हैं। यह महज लापरवाही नहीं, बल्कि कानून की सुनियोजित अवहेलना और लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला है। शालेय शिक्षक संघ सूरजपुर के जिलाध्यक्ष एवं वरिष्ठ आरटीआई कार्यकर्ता यादवेन्द्र दुबे ने जिले में युक्तियुक्त प्रक्रिया में हुई कथित धांधली तथा शासन द्वारा संलग्नीकरण समाप्त किए जाने के बावजूद कर्मचारियों को अवैध रूप से

संलग्न किए जाने के मामलों को लेकर जिले के सभी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत किए थे, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित समय-सीमा में मात्र एक विकासखण्ड से ही सूचना उपलब्ध कराई गई, जबकि शेष कार्यालयों ने पूर्ण चुप्पी साध ली। इसके बाद यादवेन्द्र दुबे ने 23 अलग-अलग मामलों में प्रथम अपील जिला शिक्षा अधिकारी अजय कुमार मिश्रा के समक्ष प्रस्तुत की। सभी प्रकरणों में सुनवाई पूर्ण होने के बाद आदेश भी पारित कर दिए गए। इसके बावजूद संबंधित जनसूचना अधिकारी हरेन्द्र सिंह सूरजपुर, डी.एस. लकड़ा रामानुजगढ़, प्रदीप सिंह ओड़गी, मुन्नु सिंह धुर्वे प्रतापपुर एवं प्रताप सिंह पैकरा प्रेमनगर ने न केवल आदेशों की अवहेलना की, बल्कि पारित आदेशों में दी गई समय-सीमा के भीतर सूचना



देना तक जरूरी नहीं समझा। यह स्थिति न तो कानून का भय है और न ही किसी प्रकार की जवाबदेही। जब प्रथम

अपीलीय अधिकारी के आदेशों को ही गंभीरता से नहीं लिया जा रहा, तो आम नागरिक को न्याय मिलने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? मामला यहीं समाप्त नहीं होता। यादवेन्द्र दुबे द्वारा जनसूचना अधिकारी प्रेमनगर प्रताप सिंह पैकरा के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत समय-सीमा के उल्लंघन के पश्चात् निःशुल्क सूचना न देकर अवैध रूप से शुल्क वसूली, बैंक डेट पर शुल्क मांग पत्र जारी करने, बैंक डेट पर शुल्क रसीद निर्गत करने, शासकीय अभिलेखों में कूट रचना, कदाचार एवं दंडनीय कृत्य जैसे अत्यंत गंभीर आरोपों को लेकर लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई। इस शिकायत पर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा 22 जनवरी 2026 को विधिवत सुनवाई की जा चुकी है, किंतु सुनवाई के 19 दिन बीत जाने के बावजूद संबंधित जनसूचना अधिकारी को नोटिस तक

जारी नहीं किया गया। यह न केवल हैरान करने वाला है, बल्कि यह प्रश्न भी खड़ा करता है कि क्या प्रथम अपीलीय अधिकारी की भूमिका केवल सुनवाई कर औपचारिकता निभाने तक सीमित रह गई है। आरटीआई अधिनियम के जानकारों का कहना है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं, जिनका पालन करना संबंधित जनसूचना अधिकारी का कर्तव्य है। इसके बावजूद सूरजपुर शिक्षा विभाग में यह आदेश केवल औपचारिक दस्तावेज बनकर रह गए हैं। श्री दुबे ने तीखे शब्दों में आरोप लगाते हुए कहा कि सूचना जानबूझकर रोकी जा रही है, ताकि युक्तियुक्त प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं, अवैध संलग्नीकरण और प्रशासनिक लापरवाही पर पर्दा डाला जा सके। यह पारदर्शिता नहीं, बल्कि साजिश है। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि

सूचना का अधिकार किसी अधिकारी की कृपा नहीं, बल्कि नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। यदि अधिकारी खुद को कानून से ऊपर समझ रहे हैं, तो अब उन्हें जवाब देना ही होगा। लगातार आदेशों की अवहेलना से आहत श्री दुबे ने पूरे मामले को राज्य सूचना आयोग में ले जाने का निर्णय लिया है। अब जिले में सवाल गूंज रहे हैं कि क्या सूरजपुर शिक्षा विभाग खुद को कानून से ऊपर मान बैठा है। क्या प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश केवल दिखावे की कार्रवाई बनकर रह गए हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम लोकतंत्र की रीढ़ है। शिक्षा जैसे संवेदनशील विभाग में इसका इस तरह अपमान होना न केवल चिंताजनक, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सही नहीं है। यदि समय रहते इस मनमानी पर रोक नहीं लगी, तो यह कानून की कब्र खोदने जैसा होगा।

कृषक-वैज्ञानिक परिचर्चा में आधुनिक तकनीकों की दी गई जानकारी

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

सूरजपुर। आत्मा योजनांतर्गत कृषि विज्ञान केन्द्र, अजिरमा में कृषक-वैज्ञानिक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा में जिले के विकासखण्ड ओड़गी अंतर्गत ग्राम आनंदपुर, चपदा एवं धंवरखोह के कृषकों ने सक्रिय सहभागिता की। परिचर्चा के दौरान कृषकों ने खरीफ एवं रबी फसलों में लगने वाले कीट एवं रोग व्याधियों की समस्याओं से वैज्ञानिकों को अवगत कराया। इस पर कृषि विज्ञान केन्द्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. संदीप शर्मा ने फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन तथा कीट-रोग नियंत्रण के लिए जैविक एवं रासायनिक दोनों पद्धतियों की विस्तृत जानकारी



प्रदान की। इसके साथ ही उन्होंने पशुपालन गतिविधियों के अंतर्गत सुग्रीपालन एवं बकरीपालन से आय बढ़ाने के उपाय भी बताए। विषय वस्तु विशेषज्ञ पी. आर. पैकरा ने कृषकों को समन्वित कृषि प्रणाली, मेंटों के दक्षतापूर्ण उपयोग तथा जैविक एवं प्राकृतिक खेती के अंतर्गत जीवामृत, बीजामृत, ब्रह्मास्त्र आदि तैयार करने की विधि एवं उपयोग की जानकारी दी। उन्होंने स्वीट कार्न की खेती को लाभकारी बताते हुए कृषकों

को इसे अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया तथा तकनीकी जानकारी के साथ प्रक्षेत्र भ्रमण भी कराया। इस अवसर पर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी नूतन प्रतीक एक्का ने कृषकों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, एग्रीस्टेक पंजीयन, पी.एम. आशा योजना के अंतर्गत दलहन-तिलहन फसलों का समर्थन मूल्य पर विक्रय हेतु सहकारी समितियों में पंजीयन कराने की जानकारी दी।

पुलिस के एण्टी क्राइम एंड साइबर यूनिट ने चोरी के 7 आरोपी गिरफ्तार समेत 28 लाख का माल किया जब्त

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। पुलिस ने राजधानी समेत आसपास के जिलों के ज्वेलरी दुकानों और सूने मकानों में चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। सोशल मीडिया रील्स देखकर चोरी के तरीके सीखने वाले इस गिरोह सहित कुल 8 चोरी के प्रकरणों में एण्टी क्राइम एंड साइबर यूनिट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 28 लाख रुपये कीमत के सोने-चांदी के जेवरात, नगद राशि और चोरी की मोटरसाइकिल जब्त की गई है। यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त (क्राइम एवं साइबर)



स्मृति राजनाला के सतत मॉनिटरिंग में की गई। कार्रवाई में थाना खम्हारडीह, डीडी नगर, पुरानी बस्ती, आरंग, पंडरी, विधानसभा रायपुर और जिला

बलौदा बाजार के पलारी क्षेत्र की चोरी की घटनाओं का खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि आरोपी सूने मकानों के ताले तोड़कर चोरी करने के साथ-साथ

ज्वेलरी दुकानों में ग्राहक बनकर आते थे और जेवरात दिखाने के दौरान मौके का फायदा उठाकर फरार हो जाते थे। कई मामलों में आरोपी मोटरसाइकिल से आए और वारदात के बाद तेजी से भाग निकले। थाना खम्हारडीह और डीडी नगर क्षेत्र के मामलों में हिस्ट्रीशीटर एवं शांति चोर संजय नेताम उर्फ गोलू (43 वर्ष) को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से करीब 18 लाख रुपये के जेवरात, नगदी और चोरी की दोपहिया वाहन जब्त की गई। आरोपी के खिलाफ पहले से कई थानों में आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। पुरानी बस्ती क्षेत्र के मामलों में भूपेंद्र पटेल उर्फ

गजनी और करण टांडी को गिरफ्तार कर करीब 2 लाख रुपये का माल बरामद किया गया। आरंग, पंडरी और पलारी क्षेत्र के मामलों में प्रमोद चतुर्वेदी, रिशेथ कुर्से और एक विधि से संघर्षरत बालक को पकड़ा गया, जिनसे करीब 5 लाख रुपये का माल और चोरी की मोटरसाइकिल जब्त की गई। विधानसभा थाना क्षेत्र के एक मामले में रुद्रांशु श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लगभग 3 लाख रुपये के जेवरात और नगदी बरामद की गई। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने चोरी के तरीके सोशल मीडिया रील्स देखकर सीखे थे।

सामूहिक दवा का सेवन कर राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन अभियान का किया गया शुभारंभ

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

सूरजपुर। फाइलेरिया उन्मूलन हेतु सामूहिक दवा सेवन अभियान का शुभारंभ मंगलवार को कलेक्टर एस. जयवर्धन की उपस्थिति में यहां के रेवती रमण कॉलेज में किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर ने स्वयं दवा का सेवन कर जिलेवासियों से फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन करने की अपील की। सूरजपुर फाइलेरिया मुक्त बन सके इस हेतु आमजन को स्वास्थ्यकताओं का पूर्ण सहयोग



करने की बात कही और फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन स्वास्थ्यकताओं को देखरेख में करने की बात कही। कलेक्टर ने कॉलेज के छात्रों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें और फाइलेरिया जैसी गंभीर बीमारी

से बचाव के लिए दवा का सेवन अवश्य करें। यह अभियान 10 से 25 फरवरी तक संचालित किया जा रहा है। नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में संपर्क कर ज्यादा से ज्यादा जिलेवासी इस अभियान का लाभ उठा सकते हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सूरजपुर को

फाइलेरिया, हाथीपांव मुक्त बनाना है। इसके तहत सूरजपुर, रामानुजगढ़ और प्रेमनगर में 02 वर्ष से अधिक आयु के सभी पात्र व्यक्तियों को दवा खिलाई जा रही है। 110 से 12 फरवरी तक स्कूलों, कॉलेजों, स्वास्थ्य केंद्रों और आंगनबाड़ियों में विशेष बृथ लगाकर दवा खिलाया। 13 से 25 फरवरी तक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा घर-घर जाकर दवा का सेवन सुनिश्चित कराया गया। इस अभियान में डीईसी, एल्वेंडाजोल और आइवमेक्टिन की खुराकें स्वास्थ्य

कर्मियों की सीधी निगरानी में निःशुल्क दी जा रही हैं। सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम में जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. के.डी. पैकरा, जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. दीप कुमार, डब्ल्यू.एच.ओ. के प्रतिनिधि डॉ. स्नेहाश्री, जिला कार्यक्रम प्रबंधक एन.एच.एम. संदीप नामदेव, व्ही.बी.डी. कंसलटेंट विवेक सदान नाविक, एमटीएस सी.के. माहेश्वरी, कॉलेज के प्राचार्य, प्राध्यापक एवं छात्र, छात्राएं उपस्थित रहे

एनएसयूआई ने स्कूलों में छात्र कौशल प्रतियोगिता की दी जानकारी

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

सूरजपुर। देश के महापुरुषों की याद में एक कदम छात्रों के कौशल विकास की ओर सोंच को लेकर एनएसयूआई द्वारा आयोजित रक्षा कौशल प्रतियोगिता के रजिस्ट्रेशन के लिए एनएसयूआई जिलाध्यक्ष आकाश साहू ने अपनी टीम के साथ यहां के शासकीय रेवती रमण मिश्र महाविद्यालय, शासकीय कन्या महाविद्यालय, वेटनेरी पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, आईटीआई महाविद्यालय एवं शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी विद्यालय में जाकर



छात्रों को प्रतियोगिता के बारे में जानकारी देकर रजिस्ट्रेशन कराया गया। इस दौरान अफरोज अंसारी, प्रदेश सचिव

लिवनेश सिंह, यशवंत सिंह, मनोज सिंह, ललित सिंह, सोमू खान, निलेश एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।

रोहन राजवाड़े के जिला कांग्रेस महामंत्री बनने से संगठन को मिली नई ऊर्जा

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

भटगांव। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला/शहर कांग्रेस कमेटी की अनुमोदित कार्यकारिणी की घोषणा के साथ ही जिले की राजनीति में नई हलचल देखने को मिली है। जारी सूची के अनुसार रोहन राजवाड़े को जिला कांग्रेस कमेटी सूरजपुर का महामंत्री नियुक्त किया गया है। उनकी इस नियुक्ति को संगठन को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। रोहन राजवाड़े कांग्रेस संगठन में लंबे समय से सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। वे जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने, जनसंपर्क अभियान, आंदोलन और संगठनात्मक कार्यक्रमों में लगातार सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। आम जनता के मुद्दों को लेकर उनकी सक्रियता और कार्यशीलता को देखते हुए पार्टी ने तृत्व ने उन्हें यह



महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। नवनियुक्त जिला महामंत्री रोहन राजवाड़े की नियुक्ति की खबर फैलते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह का माहौल बन गया। जिले भर से पार्टी पदाधिकारियों, वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई देते हुए उम्मीद जताई है कि उनके नेतृत्व और समन्वय से संगठन को नई

दिशा और मजबूती मिलेगी। अपनी नियुक्ति पर प्रतिक्रिया देते हुए रोहन राजवाड़े ने छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं जिला नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन पर पूरी विश्वास जताया है, उस पर वे पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ खरा उतरने का प्रयास करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि संगठन

को बुथ स्तर तक मजबूत करना, कांग्रेस की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाना और जनहित के मुद्दों पर संचर्ष करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि रोहन राजवाड़े के जिला महामंत्री बनने से युवा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन मिलेगा और आगामी राजनीतिक चुनौतियों में पार्टी को मजबूती प्राप्त होगी।

अंशु बने कांग्रेस जिला सचिव

ओड़गी। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज के सहमति से सूरजपुर के जिला अध्यक्ष शशि सिंह के द्वारा जिला कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है, जिसमें ओड़गी से अंशु पाण्डेय को जिला सचिव पद की जवाबदारी दी गई है इस नियुक्ति के बाद पांडे के द्वारा सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का आभार जताया गया।

होटल ट्रिनिटी में चल रहे देह व्यापार का पुलिस ने किया भंडाफोड़

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायगढ़। रायगढ़ पुलिस को जिले में अवैध देह व्यापार के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है। शहर के होटल ट्रिनिटी की सातवीं मंजिल पर संचालित सनराइज स्पा एंड सैलून में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी के मार्गदर्शन में पुलिस ने छापेमारी कर अनैतिक गतिविधियों का पदांशु किया है। नगर पुलिस अधीक्षक मयंक मिश्रा के नेतृत्व में थाना कोतवाली एवं साइबर सेल की संयुक्त टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की। पुलिस को स्पॉट में अवैध गतिविधियों की सूचना मिली थी, जिसकी पुष्टि के लिए एक पुलिस पाइटर को ग्राहक बनाकर भेजा गया। संकेत मिलते



ही शाम करीब 7:30 बजे पुलिस टीम ने होटल में दबिश दी। छापेमारी के दौरान होटल के तीन अलग-अलग कमरों से तीन महिलाओं को बरामद किया गया। महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महिला पुलिसकर्मियों द्वारा तलाशी ली गई, जहां से आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई। पूछताछ में स्पॉट सेंटर संचालक विनयकांत बरगत ने

स्वीकार किया कि आर्थिक लाभ के लिए ग्राहकों को महिलाओं की व्यवस्था कराई जाती थी। वहीं, होटल मैनेजर देवेन्द्र सिंह को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक ओम्पो रेनो 11 प्रो 5जी मोबाइल फोन, 6,000 नगद (पाइटर द्वारा दिया गया) तथा सैंटर से जुड़े दस्तावेज, ग्राहकों का रजिस्टर तथा वर्ष 2024 से संबंधित किरायानामा

जब्त किया है। इस मामले में थाना कोतवाली रायगढ़ में अपराध क्रमांक 36/2026 के तहत धारा 3, 4, 5 एवं 7 अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में इस प्रकार की अवैध गतिविधियों के खिलाफ आगे भी सख्त अभियान जारी रहेगा।

आधार कार्ड में नाम सुधार की सूचना पत्र



प्रधान चक्रधारी पिता रामकुमार निवासी ग्राम दवनसरा पोस्ट-दवना तहसील ओड़गी थाना झिलमिली जिला सूरजपुर (छग) का मूल निवासी हूँ जिसमें आधार कार्ड क्रमांक 234180045589 है जिसमें त्रुटि पूर्ण नाम राहुल चक्रधारी एवं जन्म तिथि 01/01/2013 अंकित है। जबकि सही नाम प्रधान चक्रधारी पिता रामकुमार व माता रनिया है एवं जन्म तिथि 12/02/2014 है व मेरे जन्म प्रमाण पत्र व अंकसूची में अंकित है जो सत्य एवं सही है।

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अंबिकापुर, जिला सरगुजा, (छग०) ईशतहार
रा०प०क्र०/अ-2/2025-26

एतद् द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक कोमल राम पिता श्यामलाल राजवाड़े जाति रजवार निवासी फुन्दुरिहारी तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छग०) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिकारी भूमि स्थित ग्राम फुन्दुरिहारी तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छग०) खसरा नंबर 40/208, रकबा 0.016 हे० भूमि को कृषि भिन्न आवासीय प्रयोजन हेतु व्यवर्तन कराने के लिए भूमि को बी-1, खसरा, नक्शा, सेटलमेन्ट, भूमि उपयोगिता प्रमाण पत्र, रजिस्ट्री की प्रति, आदि सहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित सुनवाई तिथि .17/02/2026 को मेरे न्यायालय में अथवा अधीक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर

कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 9/2/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।
अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अम्बिकापुर

15 फरवरी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर प्यारेलाल के पोखरा स्थित भोलेनाथ चंदईपुर का होगा भव्य श्रृंगार
मीरजापुर। स्थानीय सिटी ब्लाक स्थित चंदईपुर स्थित प्यारेलाल के पोखरा के पास स्थापित भगवान भोलेनाथ का 15 फरवरी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भव्य श्रृंगार एवं विशाल भंडारा का आयोजन किया गया है।

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छग०) ईशतहार
रा०प०क्र०/अ-6/2025-26
एतद् द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका निष्ठा पाण्डेय आत्मजा ओमप्रकाश पाण्डेय, उम्र 39 वर्ष, निवासी आकाशवाणी चौक अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छग०) के द्वारा तदवश का आवेदन प्रस्तुत किया गया है, कि आवेदिका के द्वारा गोहल्ला जोराड़पापा नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल भूमि भूखण्ड क्र 9/103 में से रकबा 150 वर्गफुट व भूखण्ड क्र. 9/127 में से रकबा 1650 वर्गफुट कुल रकबा 1800 वर्गफुट भूमि का पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 24.10.2025 के माध्यम से क्रय क्रय किया गया है। अतः उक्त पंजीबद्ध विक्रय पत्र के आधार पर उक्त भूमि के नजूल अभिलेख में स्वयं का नाम दर्ज किये जाने हेतु आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र अन्तर्गत नगर 109, 110 छ.ग. भू-राजस्व सहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो वे अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 23/02/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। निवृत्त तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 10/02/2026 को मेरे न्यायालयीन मुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।
नजूल अधिकारी

पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट की दो टूक किसी को भी 'बाधा' डालने की अनुमति नहीं चुनाव में लगे अधिकारी डीईओ को रिपोर्ट करें

एजेसी नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में किसी को भी बाधा डालने की अनुमति नहीं देगा। प्रधान न्यायाधीश सुर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति एनवी अंजिरिया की पीठ ने कहा कि वह इस मामले में आवश्यक आदेश या स्पष्टीकरण जारी करेगी। पीठ ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। इनमें राज्य की सीएम ममता बेंनर्जी की याचिका भी शामिल है, जिसमें एसआईआर अभ्यास के दौरान मतदाता सूची से बड़ी संख्या में लोगों के नाम हटाए जाने की आशंका जाहिर की गई है। पीठ ने कहा कि हम किसी को भी एसआईआर प्रक्रिया में बाधा डालने की अनुमति नहीं देंगे। राज्यों को यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए।

पीठ ने कहा कि हम किसी को भी एसआईआर प्रक्रिया में बाधा डालने की अनुमति नहीं देंगे। राज्यों को यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। शीर्ष अदालत ने निर्वाचन आयोग की ओर से दायर हलफनामे का संज्ञान लिया, जिसमें कुछ उपद्रवियों पर एसआईआर संबंधी नोटिस को जलाने का आरोप लगाया गया है



मामले में आवश्यक आदेश या स्पष्टीकरण जारी करेगी कोर्ट

उपद्रवियों पर एसआईआर संबंधी नोटिस को जलाने का आरोप

दोनों पक्षों की शंका का समाधान हो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रक्रिया में लगे सभी अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) को रिपोर्ट करेंगे। कोर्ट ने मुकदमे की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील को अनुशासन का पाठ भी पढ़ाया। दरअसल, ममता बेंनर्जी की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने कहा, बीते 4 फरवरी को अदालत ने नोटिस जारी किया, जिसमें कई टिप्पणियां थीं। बीते हफ्ते में कई बदलाव हुए हैं। सुनवाई के दौरान ममता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने एसआईआर प्रक्रिया में सूक्ष्म पर्यवेक्षकों की नियुक्ति और बड़े पैमाने पर योग्य मतदाताओं के नाम हटाए जाने को लेकर आशंकाएं व्यक्त कीं। दीवान ने पीठ से कहा कि हम नहीं चाहते कि मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर लोगों के नाम हटाए जाएं।

निर्वाचन आयोग ही तय करेगा अधिकारियों की नियुक्ति

शीर्ष अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से निर्वाचन आयोग को गुप-बी के 8,505 अधिकारियों की सूची उपलब्ध कराए जाने का संज्ञान लिया। उसने कहा कि इन अधिकारियों को एसआईआर प्रक्रिया में प्रशिक्षित और नियोजित किया जा सकता है। पीठ ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में संशोधन के सिलसिले में अंतिम निर्णय हमेशा मतदाता सूची अधिकारियों द्वारा ही लिया जाएगा। इन 8,505 अधिकारियों की नियुक्ति का तरीका और कामकाज निर्वाचन आयोग द्वारा तय किया जाएगा।

सीजेआई बोले- ये कोई बाजार नहीं

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी के हस्तक्षेप पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने नाराजी प्रकट करते हुए कहा कि ये कोई बाजार नहीं है। कोर्ट में अनुशासन और गरिमा बनाए रखें। मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि मंदिरों की देखरेख करने वाले एक संगठन ने एक याचिका दायर की है। इस दलील पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, बारी-बारी से सुनते हैं। तलख लहजे में जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा- आप किसी बाजार में बैठे हैं या अदालत में हैं।

डिजिटल धोखाधड़ी पर कोर्ट सख्त कहा- यह सरासर डकैती है पूरे देश में लागू हो एसओपी



सुप्रीम कोर्ट



साइबर अपराधी

54000 करोड़ से अधिक की राशि ठगी की गई

बैंक अधिकारियों की मिलीभगत की संभावना

डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए इसे डकैती या लूट करार दिया है। अदालत ने कहा कि अब तक 54,000 करोड़ से अधिक की राशि साइबर ठगी के जरिए निकाली जा चुकी है, जो बेहद हमलावरों ने कोर्ट रूम का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया था। उस समय जज और कोर्ट के कर्मचारी भी वहीं मौजूद थे। इस मामले पर सीजेआई ने कहा कि अगर पुलिस इस मामले में दखल नहीं दे रही है, तो यह कानून की अवहेलना है। सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना को गुंडा राज बताया और कहा कि ऐसी हरकतें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। बेंच ने वकील को निर्देश दिया कि वह सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराएँ। कोर्ट ने साफ किया कि अदालत परिसर में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है।

एजेंसियों के बीच हो तालमेल

कोर्ट ने कहा कि अंतर-विभागीय एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल के लिए चार सप्ताह के भीतर एक ड्राफ्ट ममोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तैयार किया जाए। ताकि डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने में एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय हो सके। सीबीआई देशभर में सामने आए डिजिटल अपरेट मामलों की पहचान करे और उनसे जुड़े तथ्यों को विस्तृत जांच की जाए। आरबीआई, दूरसंचार विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियां एक संयुक्त बैठक आयोजित करें।

दीपम विवाद: नमाज हर दिन अदा नहीं कर सकते

सुप्रीम कोर्ट ने थिरुप्पनकुंदम पहाड़ी पर कार्तिगाई दीपम विवाद में मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है और कहा है कि पहाड़ी के नेल्लीथोप्पु इलाके में मुस्लिम रमजान और बकरिद पर नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन हर दिन वहां नमाज अदा नहीं कर सकते। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीबी वाराले को पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया और हाईकोर्ट के आदेश को संतुलित आदेश बताया। बता दें, बीते साल दिसंबर में मद्रास हाईकोर्ट ने दरगाह के नजदीक दीपाथून जगह पर दीप प्रज्वलित करने की इजाजत दी थी।

पूर्व सेना प्रमुख की किताब पर विवाद

मणिपुर के उखरुल में फिर भड़की हिंसा

मणिपुर के उखरुल में फिर भड़की हिंसा

बर्फ से ढके 'बद्रीनाथ' धाम का मनोरम दृश्य

नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक सोशल मीडिया पर हो गई लीक

एजेसी नई दिल्ली

पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की आगामी किताब 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' के कथित रूप से सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, इस पुस्तक को अभी संबंधित प्राधिकरणों से प्रकाशन की

आवश्यक अनुमति नहीं मिली है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि विभिन्न ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों और न्यूज फोरम पर ऐसी जानकारी सामने आई थी कि किताब की प्री-प्रिंट कॉपी इंटरनेट पर साझा की जा रही है। इन दावों के संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। शुरुआती जांच में पाया गया कि पुस्तक की एक पीडीएफ कॉपी कुछ वेबसाइट्स पर उपलब्ध है। यह कॉपी कथित रूप से पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार की गई प्रतीत होती है।

21 घर जलाए, शांति बहाली की कोशिश में जुटा प्रशासन

एजेसी इफ़ाल

मणिपुर के उखरुल में मामूली विवाद के बाद भड़की हिंसा में अब तक 21 घर जल चुके हैं। हथियार बंद बदमाशों की फायरिंग के बाद कई ग्रामीणों ने पलायन किया है। प्रशासन ने सुरक्षा बल तैनात कर दिए हैं। सीएम और उपसीएम शांति बहाली की कोशिशों में जुटे हैं और लोगों से

संयम बरतने को कहा है। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर के उखरुल जिले में सोमवार दोपहर को एक बार फिर हिंसा भड़क गई। यह हिंसा तब भड़की जब कथित तौर पर हथियारबंद बदमाशों ने लिटन सर्रेखोंग गांव में कई घरों को आग लगा दी। इस दौरान हमलावरों ने हवा में गोलियां भी चलाईं। इस डर से ग्रामीण अपना जरूरी सामान लेकर पड़ोसी जिले कांगपोकपी के सुरक्षित इलाकों में चले गए हैं। कई तांगखुल ग्रामीणों ने भी अपना घर छोड़ दिया है। इस हिंसा की शुरुआत शनिवार रात को हुई थी।



चमोली उतराखंड राज्य के चमोली जिले में ताजा बर्फबारी के बाद बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच बद्रीनाथ धाम का मनोरम दृश्य दिखाई दे रहा है। राज्य के 5 जिलों उतरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में मीसम ने करवट ली है। इन 5 जनापदों में 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बर्फ और बर्फबारी हुई है।

न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छग०) रा.प्र.क्र.ब/121 वर्ष ग्राम प.ह.न.15 ईशतहार
एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक करमु पिता स्व.शोभा जाति चेरवा निवासी ग्राम सुंदरपुर प.ह.न.15 रा.नि.मं. भैयाथान तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छग०) द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि आवेदक के पिता स्व.शोभा का मृत्यु दिनांक 05-06-2009 को ग्राम सुंदरपुर में हुई है, अज्ञानतावश मृत्यु पंजीयन नहीं करा पाया है। आवेदक अपने पिता स्व.शोभा का मृत्यु पंजीयन हेतु ग्राम पंचायत सुंदरपुर को आदेशित करने आवेदन पेश किया है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेशी दिनांक 27/02/2026 तक अपना आपत्ति इस न्यायालय में पेश कर सकते हैं। निवृत्त तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 09/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।
कार्यालयिक दंडाधिकारी भैयाथान जिला सूरजपुर

न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छग०) रा.प्र.क्र.ब/121 वर्ष ग्राम प.ह.न.15 ईशतहार
एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक करमु पिता शोभा जाति चेरवा निवासी ग्राम सुंदरपुर प.ह.न.15 रा.नि.मं. भैयाथान तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छग०) द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि आवेदक के ज़ाबा स्व.नन्दू का मृत्यु दिनांक 03-04-2010 को ग्राम सुंदरपुर में हुई है, अज्ञानतावश मृत्यु पंजीयन नहीं करा पाया है। आवेदक अपने बाबा स्व.नन्दू का मृत्यु पंजीयन हेतु ग्राम पंचायत सुंदरपुर को आदेशित करने आवेदन पेश किया है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेशी दिनांक 18/02/2026 तक अपना आपत्ति इस न्यायालय में पेश कर सकते हैं। निवृत्त तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 02/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।
कार्यालयिक दंडाधिकारी भैयाथान जिला सूरजपुर

न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छग०) रा.प्र.क्र.ब/121 वर्ष ग्राम - प.ह.न. ईशतहार
एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक राजू पिता शिवनाथ जाति चेरवा निवासी ग्राम बड़सरा प.ह.न. रा.नि.मं. भैयाथान तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छग०) द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि आवेदक अपने पुत्र मनीष कुमार का जन्म दिनांक 26/11/2013 को ग्राम बड़सरा में हुई है, अज्ञानतावश जन्म पंजीयन नहीं करा पाया है। आवेदक अपने पुत्र मनीष कुमार जन्म पंजीयन हेतु ग्राम पंचायत बड़सरा को आदेशित करने आवेदन पेश किया है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेशी दिनांक 19/02/2026 तक अपना आपत्ति इस न्यायालय में पेश कर सकते हैं। निवृत्त तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 03/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।
कार्यालयिक दंडाधिकारी भैयाथान जिला सूरजपुर

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अंबिकापुर, जिला सरगुजा, (छग०) ईशतहार
रा०प०क्र०/अ-2/2025-26
एतद् द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक कविता अग्रवाल पत्नी हेंस कुमार अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी कुण्डला सिटी अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छग०) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिकारी भूमि स्थित ग्राम अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छग०) खसरा नंबर 4608/21, 4609/15, रकबा 0.020, 0.028 हे० भूमि को कृषि भिन्न आवासीय प्रयोजन हेतु व्यवर्तन कराने के लिए भूमि को बी-1, खसरा, सेटलमेन्ट, रजिस्ट्री की प्रति, आदि सहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित सुनवाई तिथि 17/02/2026 को मेरे न्यायालय में अथवा अधीक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 09/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।
अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अम्बिकापुर

न्यायालय तहसीलदार सूरजपुर, जिला - सूरजपुर (छ.ग.) ईशतहार
राजस्व प्रकरण क्र. ब-121/2024
सूरजपुर, दिनांक 19/01/2026
आवेदक/आवेदिका का नाम कवलसाव आ० स्व दुर्बाराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम पेण्डरखी, प.ह.न. 29 तहसील सूरजपुर जिला सूरजपुर (248 छ.ग.) ने अपने पिता स्व दुर्बाराम मृत्यु/जन्म दिनांक 8/8/2008 का मृत्यु/जन्म प्रमाण पत्र बनाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो तो दिनांक 22/02/2026 को समय 11.00 बजे इस न्यायालय में अपना स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति दावा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। तदनुसार कार्यवाही कर दी जावेगी। इस ईशतहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 19/1/2026 को जारी किया जाता है।
तहसीलदार सूरजपुर (छ.ग.)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अंबिकापुर, जिला सरगुजा, (छग०) ईशतहार
रा०प०क्र०/अ-2/2025-26
एतद् द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक आकाश गुला पिता लक्ष्मण प्रसाद गुला जाति सुडी निवासी गोधमपुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छग०) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिकारी भूमि स्थित ग्राम नमनाकला तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छग०) खसरा नंबर 2/95 रकबा 0.221 हे० में से 0.048 हे० भूमि को कृषि भिन्न न्यायसाविक प्रयोजन हेतु व्यवर्तन कराने के लिए भूमि को बी-1, खसरा, रजिस्ट्री की प्रति, आदि सहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित सुनवाई तिथि 17/02/2026 को मेरे न्यायालय में अथवा अधीक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 09/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।
अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अम्बिकापुर

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अंबिकापुर, जिला सरगुजा, (छग०) ईशतहार
रा०प०क्र०/अ-2/2025-26
एतद् द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक आकाश गुला पिता लक्ष्मण प्रसाद गुला जाति सुडी निवासी गोधमपुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छग०) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिकारी भूमि स्थित ग्राम नमनाकला तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छग०) खसरा नंबर 32/9 रकबा 0.010 हे० भूमि को कृषि भिन्न आवासीय प्रयोजन हेतु व्यवर्तन कराने के लिए भूमि को बी-1, खसरा, रजिस्ट्री की प्रति, आदि सहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित सुनवाई तिथि .17/09/2026 को मेरे न्यायालय में अथवा अधीक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 09/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।
अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अम्बिकापुर

मुख्यमंत्री कन्या विवाह में उपमुख्यमंत्री ने घराती बन बारात परघाकर किया सभी का स्वागत

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। आज मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सामाजिक रिती-रिवाजों और अभूतपूर्व उत्साह के साथ कबीरधाम जिले के 272 जोड़े एक साथ सात फेरे लेकर अटूट बंधन में बंध गए। इस पावन अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वचुंअल माध्यम से जुड़कर नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान किया। सरदार पटेल मैदान में आयोजित इस समारोह में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा शामिल वधुओं के परिजन बनकर शामिल हुए। इस अवसर में उन्होंने बारात का स्वागत करने के साथ सभी को परघाते हुए समधी की तरह सभी का अभिवादन किया। वरों एवं उनके परिजनों का फूल माला के साथ स्वागत करते हुए सभी का गले लगाकर अभिनंदन किया। उन्होंने परिणय सूत्र में बंधकर नए जीवन की शुरुआत करने वाले सभी

नवदंपतियों को वधाई एवं शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम में पंडित द्वारा वर-वधुओं को सात वचनों का संकल्प दिलाया गया, जिसके साथ ही विवाह की रस्में संपन्न हुईं। उपमुख्यमंत्री शर्मा ने मंच पर पहुंचकर सभी नवदंपतियों को आशीर्वाद प्रदान किया और शासन की ओर से प्रत्येक जोड़े को 35-35 हजार रुपये की सहायता राशि का चेक और सामग्री भेंट किया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी आशीर्वाद देते हुए कहा कि आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के माध्यम से अनेक जोड़े एक साथ विवाह के पवित्र बंधन में बंधकर अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। वर्ष 2005 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की परेशानियों को समझते हुए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत की थी। पहले बेटियों की शादी के लिए



परिवारों को कर्ज तक लेना पड़ता था, लेकिन इस योजना ने उनकी बड़ी चिंता दूर की है। इस पहल से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक संबल मिला है और बेटियों का विवाह सम्मानपूर्वक संपन्न हो रहा है।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नवदम्पत वर एवं वधु को आशीर्वाद प्रदान करते हुए उनके सुखमय जीवन की कामना की। उन्होंने कहा कि

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से आज पूरे सम्मान के साथ कबीरधाम जिले के 272 बेटियों को विवाह पूरे रीति-रिवाज और सामाजिक परंपरा के साथ एक आदर्श विवाह के रूप में संपन्न कराया गया। आज हम सब इस सामुहिक विवाह के साक्षी बने और नवदम्पत जोड़ों को एक साथ, एक स्थान और एक मंच पर उन्हे आशीर्वाद प्रदान करने का अवसर भी हम सबको मिला।

उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से नवविवाहित जोड़ों को वर्तमान में 35 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जा रही है, जिससे उन्हें जीवन की नई शुरुआत में आर्थिक सहारा मिल सके। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कवर्धा में रायपुर के बाद सबसे अधिक नवजोड़ों का विवाह एक साथ संपन्न हो रहा है, जो इस जिले के लिए गर्व की बात है। उन्होंने बताया कि यहां विवाह का यह आयोजन सार्वजनिक रूप से पूरे परंपरा और रीति-रिवाज के साथ किया जाता है, जिसमें पूरे जिले के लोग मिलकर सहभागिता निभाते हैं और समाज एक परिवार की तरह साथ खड़ा रहता है। उन्होंने नवजोड़ों को संदेश देते हुए कहा कि सुखी जीवन का सबसे बड़ा सूत्र एक-दूसरे को समझना, सम्मान देना और हर परिस्थिति में साथ निभाना है। आचार्यों द्वारा विधि-विधान से विवाह संस्कार संपन्न कराया गया है, अब सभी नवदंपति अपने वचनों को निभाते हुए

जीवनभर साथ चलें और अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। पंडरिया विधायक श्रीमती भावना बोहरा ने कहा कि कवर्धा में आयोजित यह सामूहिक विवाह कार्यक्रम एक ऐतिहासिक क्षण है, जहां पूरे मंडप को दूल्हा-दुल्हनों से सजा हुआ देखकर अत्यंत खुशी और गर्व का अनुभव हो रहा है। इस अवसर पर कृषक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश चंद्रवंशी, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष बिसेसर पटेल, पूर्व विधायक डॉ. सियाराम साहू, मोतीराम चंद्रवंशी, अशोक साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू, राजेन्द्र चंद्रवंशी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशी, नगर पालिका अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी, जिला पंचायत सदस्य राम कुमार भट्ट, अनिल ठाकुर, नितेश अग्रवाल, मुकेश ठाकुर, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत संतोष पटेल, विदेशी राम धुर्वे, सभापति श्रीमती सुमित्रा पटेल, जनपद अध्यक्ष कवर्धा श्रीमती सुषमा बघेल, बोड़ला

श्रीमती बालका वर्मा, पंडरिया श्रीमती दुर्गा सिंह, जिला पंचायत सदस्य डॉ. वीरेंद्र साहू, सभापति राज कुमार मरावी, श्रीमती पूर्णिमा साहू, श्रीमती दीपा धुर्वे, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती गंगा साहू, सदस्य जिला पंचायत रोशन दुबे, श्रीमती राजकुमारी साहू, श्रीमती ललिता धुर्वे सहित सभी जनप्रतिनिधि ने नवदंपतियों को आशीर्वाद प्रदान किया।

उपमुख्यमंत्री बेटियों के अभिभावक बनकर दुल्हों का किया स्वागत सत्कार

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत अभूतपूर्व उत्साह और हर्षोल्लास के साथ सरदार पटेल मैदान में सामुहिक विवाह का आयोजन किया गया। कवर्धा शहर के पुरानी मंडी से बैंड और डीजे सहित आतिशबाजी के साथ 272 दुल्हों की सामूहिक बारात निकाली गई।

नारी निकेतन की बालिका को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से मिला सुरक्षित भविष्य

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। जब अपनों से जीवन की राह में सहारा छूट गया, तब छत्तीसगढ़ शासन की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना शालू के जीवन में आशा की नई किरण बनकर आई। ओटगन निवासी शालू आज मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के ग्राम माहुद मचांदुर निवासी दीपक कुंजाम के साथ वैवाहिक जीवन में बंध गईं। यह विवाह न केवल दो व्यक्तियों का मिलन था, बल्कि संवेदनशील शासन और सामाजिक सहयोग की जीवंत मिसाल भी बना। शालू के जीवन में संघर्षों की लंबी श्रृंखला रही। पिता का कैसर से

निधन और मां का कोरोना काल में असमय चले जाना, फिर पारिवारिक परिस्थितियों के चलते भाई-बहनों से बिछड़ना-झगड़ना सभी कठिन परिस्थितियों में शालू अकेली पड़ गई। इस दौरान उनका स्वास्थ्य भी गंभीर रूप से प्रभावित हुआ। ऐसे समय में ओटगन की पूर्व सरपंच श्रीमती संजीता दीवान ने मानवीय संवेदना दिखाते हुए उन्हें सखी सेंटर पहुंचाया, जहां से बेहतर देखभाल के लिए शालू को नारी निकेतन भेजा गया। नारी निकेतन की अधीक्षिका श्रीमती प्रीति मिश्रा ने बताया कि संस्थान में शालू की नियमित देखभाल, उपचार और परामर्श से उनका स्वास्थ्य बेहतर हुआ। शालू की

सहमति से उनके भविष्य को सुरक्षित करने हेतु जीवन साथी की तलाश प्रारंभ की गई। इसी क्रम में खम्हार डीह क्षेत्र में पुलिस कार्य से जुड़े दीपक कुंजाम ने शालू से विवाह का प्रस्ताव रखा। आज मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के आशीर्वाद और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आदर्श विवाह संपन्न हुआ। राज्य स्तरीय आयोजन में शासन-प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति ने इस विवाह को विशेष बना दिया। दीपक ने कहा कि वे स्वयं को सौभाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें शालू जैसी संस्कारी और सुशील जीवनसाथी मिली। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय,

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, मंत्री गुरु खुरवंत साहेब और सभी जनप्रतिनिधियों का स्नेह और आशीर्वाद उनके लिए बारात जैसा रहा। शालू ने भी अपने नए जीवन की शुरुआत पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि शासन और समाज के सहयोग से उन्हें एक नई पहचान, सम्मान और सुरक्षित भविष्य मिला है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के माध्यम से शालू जैसी बेटियों को न केवल वैवाहिक सहारा मिल रहा है, बल्कि यह योजना उन्हें आत्मसम्मान, सुरक्षा और नए जीवन की आशा भी प्रदान कर रही है।

ज्ञान, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में भी देश में विशेष पहचान बनाएगा छत्तीसगढ़ : मुख्यमंत्री

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य है। हमारा लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ ज्ञान, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में भी देश में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य को ज्ञान, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है। आधुनिक अधोसंरचना, प्रभावी ई-गवर्नेंस प्रणाली और निवेश-अनुकूल नीतियों के चलते छत्तीसगढ़ आज आईटी, आईटीईएस एवं इमरजिंग टेक्नोलॉजी आधारित उद्योगों के लिए एक भरोसेमंद और आकर्षक गंतव्य के रूप में उभर रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज



अपने निवास कार्यालय में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन एवं सांफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) के मध्य हुए महत्वपूर्ण समझौता ज्ञान (एमओयू) उपरांत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री साय ने

कहा कि युवाओं में उद्यमिता विकसित करने और उन्हें आईटी एवं आईटीईएस जैसे क्षेत्रों में विश्वस्तरीय अवसर राज्य के भीतर ही उपलब्ध कराने की दिशा में यह पहल की गई है। इस एमओयू के तहत राज्य में सेंटर ऑफ एंटरप्रेनोरशिप एवं इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन

एंड डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित सेंटर ऑफ एंटरप्रेनोरशिप के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वन एवं औषधीय उत्पाद आधारित मेडटेक, स्मार्ट सिटी समाधान तथा स्मार्ट कृषि जैसे चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नवाचार और स्टार्ट-अप को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही, एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी, जो प्रति वर्ष लगभग 30 से 40 हार्डवेयर स्टार्ट-अप और एमएसएमई को प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोटोटाइपिंग, कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण की सुविधाएं प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना : सामाजिक समरसता का विश्व रिकॉर्ड

मुख्यमंत्री के सान्निध्य में 6,412 जोड़ों का विवाह

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना छत्तीसगढ़ में सामाजिक समरसता, अंत्योदय और संवेदनशील शासन की भावना को साकार करने वाली ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने कहा कि एक समय गरीब परिवारों के लिए बेटे का विवाह बड़ी चिंता का विषय होता था, जिसे इस योजना ने सम्मान और भरोसे में बदल दिया है। मुख्यमंत्री श्री साय राजधानी रायपुर के साईंस कॉलेज मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय सामूहिक विवाह कार्यक्रम को

संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में रायपुर सहित पूरे प्रदेश में कुल 6,412 जोड़े विभिन्न धार्मिक परंपराओं एवं रीति-रिवाजों के अनुसार वैवाहिक जीवन में बंधे। साईंस कॉलेज मैदान में 1,316 नवविवाहित जोड़ों को मुख्यमंत्री ने प्रत्यक्ष रूप से आशीर्वाद प्रदान किया, जबकि अन्य जिलों के जोड़े वचुंअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े। योजना के अंतर्गत प्रत्येक नवविवाहित दंपति को 35 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई। उल्लेखनीय है कि इस अभूतपूर्व आयोजन को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज



किया गया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह आयोजन केवल विवाह समारोह नहीं, बल्कि सर्वधर्म समभाव और सामाजिक एकता का उत्सव है। इस वृहद आयोजन

में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध तथा विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय के जोड़े अपने-अपने रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह सूत्र में बंधे, जो छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक समरसता को दर्शाते हैं। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सरगुजा एवं बस्तर संभाग के आठ जिलों में इस अभियान की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वस्थ और सुपोषित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए शासन के साथ-साथ समाज की सहभागिता आवश्यक है तथा अभियान की सफलता के बाद इसे

पूरे प्रदेश में विस्तारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेशवासियों के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार ने दो वर्षों में ही मोदी की गारंटी के अधिकांश वादों को पूरा किया है। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 70 लाख से अधिक महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये की सहायता दी जा रही है। उन्होंने तेंदुपत्ता संग्रहकों के हित में मानक बोरा मूल्य में वृद्धि, चरण पादुका योजना का पुनः प्रारंभ, श्रीरामलला दर्शन योजना तथा भूमिहीन मजदूरों को आर्थिक सहायता जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं का भी उल्लेख भी किया।

बस्तर पंडुम, बस्तर की बढ़ती पहचान का सशक्त प्रतीक : प्रधानमंत्री

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 से 9 फरवरी के बीच छत्तीसगढ़ में आयोजित बस्तर पंडुम को बस्तर की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और जनजातीय विरासत का भव्य उत्सव बताते हुए इससे जुड़े सभी सहभागियों को हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के साथ-साथ स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक समय बस्तर का नाम आते ही माओवाद, हिंसा और



विकास में पिछड़ेपन की छवि उभरती थी, लेकिन आज परिस्थितियाँ पूरी तरह बदल चुकी हैं। अब बस्तर शांति, विकास और स्थानीय लोगों के बढ़ते

आत्मविश्वास के लिए जाना जा रहा है। उन्होंने कामना की कि बस्तर का आने वाला समय शांति, प्रगति और सांस्कृतिक गौरव से परिपूर्ण हो।

छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की सराहनीय पहल

4 आत्मसमर्पित नक्सली जोड़े भी बंधे बंधन में, विश्व रिकॉर्ड के रूप में दर्ज होगा यह आयोजन

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। छत्तीसगढ़ की साय सरकार की संवेदनशील और कल्याणकारी सोच का प्रतीक बनी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत मंगलवार को राजिम के नवीन मेला मैदान में 283 जोड़ों का सामूहिक विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। इस ऐतिहासिक आयोजन के मुख्य अतिथि प्रदेश के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल रहे, जिन्होंने नवदंपतियों को आशीर्वाद प्रदान किया। अध्यक्षता राजिम विधायक श्री रोहित साहू ने की। राज्य सरकार की इस योजना ने जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक बोझ से मुक्ति दिलाई है, जो समाज के हर वर्ग के लिए सरदाना साबित हो रही है। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि आज के दौर में बेटे की शादी हर परिवार के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गई है, लेकिन छत्तीसगढ़ की साय सरकार की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ने इसे सुलझा दिया है। इस योजना के तहत प्रति जोड़े 50 हजार रुपये की सहायता दी जाती है, जिसमें 35 हजार रुपये वधु के बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित होते हैं। शेष 15 हजार रुपये श्रृंगार सामग्री, व्यवस्था और अन्य खर्चों पर



व्यय किए जाते हैं। श्री अग्रवाल ने कहा कि यह योजना जरूरतमंद परिवारों को सम्मानजनक तरीके से बेटे का विवाह करने में सहारा देती है। पूरे रीति-रिवाजों के साथ एक साथ इतने जोड़ों का विवाह होना समाज के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग की सराहना की तथा नवदंपतियों के सुखी वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं दीं। इस भव्य समारोह में राजिम विधानसभा क्षेत्र के 94, बिन्दनवागढ़ के 181 तथा कुरूद विधानसभा के 8 जोड़े शामिल हुए। राज्य सरकार की इस दूरदर्शी योजना ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को नई उम्मीद दी है। विधायक रोहित साहू ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना सरकार की

जनकल्याणकारी भावना का जीवंत उदाहरण है। विवाह का आर्थिक बोझ अब बोझ नहीं, बल्कि खुशी का अवसर बन गया है। उन्होंने आयोजन से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का आभार माना। कलेक्टर बीएस उडके ने बताया कि यह आयोजन पूरे प्रदेश में एक साथ हो रहा है, जो विश्व रिकॉर्ड के रूप में दर्ज होगा।

4 आत्मसमर्पित नक्सली बंधे विवाह बंधन में, मुख्यधारा में लौटकर सराहा राज्य सरकार की योजना

योजना की सबसे प्रेरणादायक कहानी

रही चार आत्मसमर्पित नक्सली जोड़ों की। कांकेर, सुकमा और बीजापुर जिले से इन जोड़ों ने मुख्यधारा में लौटकर नई जिंदगी अपनाई है। इनमें दिलीप उर्फ संतु, मंजुला उर्फ लखमी, दीपक उर्फ भीमा मंडावी, सुनीता उर्फ चुनकी, कैलाश उर्फ भीमा, रनीता उर्फ पावकी कारम तथा राजेंद्र उर्फ कोसा मुरिया, जैनी उर्फ देवे मडकम शामिल हैं। विवाह मंत्रोच्चार के बीच विवाह बंधन में बंधे इन नवदंपतियों ने राज्य सरकार की पुनर्वास नीतियों की तारीफ की। नक्सली जोड़ों ने मीडिया से कहा कि मुख्यधारा में जुड़ने के बाद हमें नई जिंदगी मिली है। इस योजना से जीवनसाथी के साथ खुशहाल भविष्य का सपना साकार हो रहा है। इस अवसर पर कलेक्टर बीएस उडके, पुलिस अधीक्षक वेदव्रत सिरमौर, जिला पंचायत सीईओ प्रखर चंद्राकर, जिला कार्यक्रम अधिकारी अशोक पाण्डेय के अलावा पूर्व विधायक संतोष उपध्याय, राजिम नगर पालिका अध्यक्ष महेश यादव, विभिन्न जनपद पंचायतों के अध्यक्षगण श्रीमती इन्द्राणी साहू, श्रीमती मीरा ठाकुर, सोहन धुर्वे तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। जिला पंचायत अध्यक्ष गौरीशंकर करश्यप ने भी संबोधित किया।

बौद्ध परंपराओं के साथ छह नवदंपतियों ने लिया जीवनभर साथ निभाने का संकल्प

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के राज्य स्तरीय आयोजन में आज सामाजिक समरसता और सर्वधर्म सद्भाव का सुंदर दृश्य देखने को मिला, जब बौद्ध धर्म के अनुयायी छह नवदंपतियों ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सान्निध्य में वैवाहिक जीवन में प्रवेश किया। बौद्ध परंपराओं के अनुरूप संपन्न हुए इस विवाह ने मानवीय मूल्यों, करुणा और समानता के संदेश को सशक्त रूप से प्रस्तुत किया। इस अवसर पर बौद्धाचार्य भंते ओमप्रकाश सहारे ने बताया कि बौद्ध रीति-रिवाजों के अनुसार महाकारणिक भगवान गौतम बुद्ध एवं बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं पर मारुयापण किया गया। इसके पश्चात नवदंपतियों ने त्रिशरण और चंद्रशिला ग्रहण कर धम्म वंदना, बुद्ध वंदना एवं संघ वंदना की तथा जयमंगल अष्टगाथा के पाठ के



साथ जयमाला द्वारा एक-दूसरे को जीवनसाथी के रूप में स्वीकार किया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े तथा कौशल विकास मंत्री गुरु खुरवंत साहेब ने सभी नवदंपतियों के पास जाकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया और उनके सुखमय दंपत्य जीवन को कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह

योजना का उद्देश्य सभी वर्गों और धर्मों के परिवारों को सम्मानपूर्वक विवाह का अवसर प्रदान करना है, जिससे सामाजिक समरसता और भाईचारा और अधिक सुहृद हो। इस सामूहिक विवाह में डोंगरगढ़ की आँचल टेम्बुलकर एवं आकाश इंदुलकर, छुरिया (राजनांदगांव) की देवनी एवं कृष्णा विजय शहरे, आकाक्षा रावत एवं अक्षय कोसरे, अंजली गेड़ाम एवं प्रताप कुमार, सुधा मेश्राम एवं अंकुश वासुदेव तथा अर्चना गेड़ाम के विवाह बौद्ध परंपरा के अनुसार संपन्न हुए। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बौद्ध धर्म के इन नवदंपतियों का विवाह सामाजिक समानता, धार्मिक सहिष्णुता और संवेदनशील शासन की सशक्त मिसाल बना, जिसने समरस और समावेशी छत्तीसगढ़ की भावना को और मजबूत किया।

भारी अव्यवस्था के बीच मुख्यमंत्री कन्या विवाह संपन्न, परिणय सूत्र में बंधे 250 जोड़े



प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। यहां जिला मुख्यालय में मंगलवार को भारी अव्यवस्था के बीच मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 250 जोड़े विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए। इस आयोजन में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की वरुंअल उपस्थिति रही। वन विकास निगम के अध्यक्ष रामसेवक पैकरा के मुख्य आतिथ्य में परिणय बंधन का कार्यक्रम अग्रसेन भवन में सम्पन्न हुआ। जिसमें हिंदू, मुस्लिम एवं ईसाई समाज के 250 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। आयोजन में विधायक भूलन सिंह मरावी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती चंद्रमणि पैकरा, जनपद अध्यक्ष श्रीमती स्वाती संत सिंह, कलेक्टर एस जयवर्धन, जिला पंचायत सीईओ विजेंद्र सिंह पाटले एवं अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। जनप्रतिनिधियों से लेकर जिले के जिम्मेदार अधिकारियों की मौजूदगी में आयोजित इस कार्यक्रम में अव्यवस्था चरम पर रही। व्यापक आयोजन के लिए विभाग द्वारा जिस स्थल का चयन किया गया था वह

उपयुक्त नहीं था। ना ही पेयजल की समुचित व्यवस्था थी और ना ही बैठक इंतजाम सही था। जोड़ों के साथ आशीर्वाद देने आए परिजन भी जगह आभाव के कारण इधर उधर भटकते नजर आए। भोजन आदि की

भी अव्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जताई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने वरुंअल माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभी नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान किया और

हजार रुपये की आर्थिक सहायता और विवाह का संपूर्ण आयोजन किया जा रहा है, जिससे गरीब और कमजोर परिवारों को बड़ी राहत मिली है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री से संवाद करते हुए सूरजपुर के

बेटियों की जिम्मेदारी उठा रहा है ताकि उनके माता पिता को उनकी शादी को लेकर कोई चिंता न रहे। उन्होंने कहा कि विवाह के बाद नवदंपतियों की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, इसलिए उन्हें शासन की अन्य

सराहनीय और संवेदनशील योजना है, जो गरीब परिवारों को उचित आयु में सम्मानजनक विवाह का अवसर प्रदान कर रही है। उन्होंने नवविवाहित जोड़ों से शासन की कल्याणकारी एवं रोजगारोन्मुख योजनाओं का लाभ लेकर आत्मनिर्भर बनने, तरक्की करते हुए जीवन में आगे बढ़ने का आह्वान किया।

आर्थिक कमजोर परिवारों हेतु वरदान साबित हो रही योजना-भूलन

इस अवसर पर विधायक भूलन सिंह मरावी ने कहा कि यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। शासन एवं जिला प्रशासन के इस सामूहिक प्रयास से माता-पिता अपने बच्चों का विवाह सम्मानपूर्वक संपन्न कर पा रहे हैं। उन्होंने कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने के लिए भी सभी परिवारों से सहयोग की अपील की।

सराहनीय और संवेदनशील योजना-रामसेवक

जिले में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि रामसेवक पैकरा ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एक अत्यंत

कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी में ओड़गी के संजय, दानी, अंशु व शिवबालक को मिली जिम्मेदारी



प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिहारपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज की सहमति से सूरजपुर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शशी सिंह द्वारा जिला कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। इस घोषणा के साथ ही जिले के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। घोषित सूची में सबसे पहले संजय यादव को जिला उपाध्यक्ष पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी में उनकी सक्रियता, संगठनात्मक अनुभव और जमीनी पकड़ को देखते हुए नेतृत्व ने उन पर विश्वास जताया है। ओड़गी क्षेत्र से दानी पाण्डेय को जिला सचिव बनाया गया है। लंबे समय से पार्टी की गतिविधियों में सक्रिय रहे दानी पाण्डेय को यह जिम्मेदारी मिलने के बाद समर्थकों में खुशी की लहर है। उनके साथ अंशु पाण्डेय को भी जिला सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। शिवबालक यादव को संगठन

में अहम दायित्व सौंपा गया है, जिससे क्षेत्रीय स्तुलन और मजबूती दोनों सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त राजेंद्र यादव को जिला संयुक्त महामंत्री तथा राम कुमार बंधोर को महामंत्री पद का जिम्मेदारी दी गई है। नई कार्यकारिणी में विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया है।

नवनियुक्त पदाधिकारियों ने प्रदेश एवं जिला नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे संगठन को बूथ स्तर तक सशक्त बनाने, पार्टी की नीतियों और विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने तथा आगामी चुनावी रणनीतियों को सफल बनाने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह नियुक्तियां संगठनात्मक मजबूती और आगामी चुनावों की तैयारियों को ध्यान में रखकर की गई हैं। इससे कांग्रेस संगठन को जिले में नई गति मिलने की संभावना जताई जा रही है।



व्यवस्था भी बिखरी बिखरी नजर आई। लोग पेयजल व भोजन के लिए भी बगले झांके दिखे। जिले में पूर्व में सामूहिक विवाह के कई आयोजन हुए हैं परंतु इस बार का आयोजन अव्यवस्था की भेंट चढ़ गया। इतने बड़े आयोजन को लेकर विभाग कितना गम्भीर था यह व्यवस्था को देखकर सहजता से अंदाजा लगाया जा सकता है...? विधायक भूलन सिंह मरावी ने

घराती मौज मस्ती में, भटकते रहे बाराती

उनके उज्वल, सुखमय एवं मंगलमय दंपत्य जीवन की कामना की। उन्होंने कहा कि पहले माता-पिता को बच्चों की शादी को लेकर भारी आर्थिक चिंता रहती थी, कई बार उन्हें जमीन बेचनी या ऋण लेना पड़ता था, लेकिन अब मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के माध्यम से शासन द्वारा 50

हितग्राहियों ने योजना के लिए आभार व्यक्त किया।

राज्य के कमजोर परिवारों की बेटियों की जिम्मेदारी उठा रहा शासन-मंत्री लक्ष्मी

कार्यक्रम में वरुंअल रूप से उपस्थित महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि शासन राज्य के कमजोर परिवारों की

जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेकर खुशहाल जीवन की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने के लिए भी सभी परिवारों से सहयोग की अपील की।

सराहनीय और संवेदनशील योजना-रामसेवक

जिले में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि रामसेवक पैकरा ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एक अत्यंत

नुकड़ नाटक कर बाल विवाह कुरुति का दिया गया संदेश

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन
सूरजपुर। राज्य स्तर से संचालित बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के अंतर्गत आज जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग, यूनिसेफ एवं एग्रिकोन फाऊंडेशन के संयुक्त



दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

ई-निविदा सूचना
क्रम सं. (1) ई-निविदा सूचना डीआरएम-इंजी.-बीएसपी-टी-187-25-26, दिनांक: 06/02/2026
कार्य : बिलासपुर मंडल के अनुपपुर-कटनी तीसरी लाइन के निर्माण में बचे हुए कार्य जो बिलसिंपुर (BRS)-चोराहा (LOA) और बंदिशा रोड (CHD)-कूपीद (RPD) सेक्शन के बीच साइड ड्रैग, रिटर्निंग वॉल/टो वॉल का कार्य, सेस की मरम्मत, पिचिंग का कार्य, प्लाटा विजिलिबिलिटी के लिए कॉन्क्रीट में एक्स्ट्रा बीसई में मिट्टी का कार्य, गार्ड से गार्ड हटाना, पी वे का कार्य और अन्य संबंधित विविध कार्यों का निष्पादन।
निविदा मूल्य (₹): 25,62,56,014.21- अमानत राशि (₹): 14,31,300/- कार्य पूर्णता की अवधि : 12 माह
क्रम सं. (2) ई-निविदा सूचना डीआरएम-इंजी.-बीएसपी-टी-188-25-26, दिनांक: 06/02/2026
कार्य : बिलासपुर मंडल के सहायक मंडल अभियंता मनेन्द्रगढ़ के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत 10 टावर (11 से आर आर) और कानपुर ग्राम (के एन पी सी) गुरु रोड में नैवतेस्पुम बीट, सिंक्रिकर और अन्य संबद्ध विविध कार्य का प्रावधान।
निविदा मूल्य (₹): 7,91,49,060/- अमानत राशि (₹): 5,45,800/- कार्य पूर्णता की अवधि : 12 माह
क्रम सं. (3) ई-निविदा सूचना डीआरएम-इंजी.-बीएसपी-टी-189-25-26, दिनांक: 06/02/2026
कार्य : बिलासपुर मंडल के सहायक मंडल अभियंता मनेन्द्रगढ़ के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत बिजुरी (बी जे आर आर) और कानपुर ग्राम (के एन पी सी) गुरु रोड में नैवतेस्पुम बीट, सिंक्रिकर और अन्य संबद्ध विविध कार्य का प्रावधान।
निविदा मूल्य (₹): 20,11,37,688/- अमानत राशि (₹): 11,55,700/- कार्य पूर्णता की अवधि : 12 माह निविदा जमा करने की अंतिम तिथि: दिनांक 13-02-2026 में। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि : दिनांक 27-02-2026 के 11-00 बजे तक।
उपरोक्त ई-निविदा सूचना की पूरी जानकारी <https://www.irps.gov.in> वेबसाइट पर उपलब्ध है। उपरोक्त निविदाओं हेतु ई-टेंडर के अलावा अन्य टेंडर स्वीकार नहीं की जाएगी।
सड़क सेवे प्रबंधक (ऑ.ई.)
बीएसपी/10/AM/676 ड.पू.म.सेवे बिलासपुर

तत्वाधान में नुकड़ नाटक के माध्यम से व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कलेक्टर एस. जयवर्धन के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य से नाट्य एवं लोक कला समिति, शहडोल की टीम ने नुकड़ नाटक की प्रस्तुति दी। इस क्रम में दो स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम अग्रसेन भवन व रेवती रमन कॉलेज में आयोजित हुआ। नुकड़ नाटक के साथ-साथ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की भी विस्तृत जानकारी आम जनमानस को दी गई। नाटक के माध्यम से लोगों को बाल विवाह न करने का संदेश दिया गया तथा बताया गया कि

लड़की की विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित है। इसके साथ ही बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत दंड के प्रावधानों की भी विस्तार से जानकारी दी गई, ताकि लोग इस कुप्रथा के कानूनी परिणामों से अवगत हो सकें। कलेक्टर एस. जयवर्धन के मार्गदर्शन में रेवती रमन कॉलेज में बाल विवाह मुक्त अभियान के नुकड़ नाटक के साथ-साथ राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत दवाई वितरण का कार्य भी किया गया, जिससे एक ही मंच से स्वास्थ्य एवं सामाजिक जागरूकता दोनों का उद्देश्य पूरा हुआ।

एनआरएलएम से जुड़कर महिलाएं गढ़ रहीं अपनी नई पहचान

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। जिले के राजपुर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम खोडरो की निवासी श्रीमती ज्योति सिंह ने सिद्ध कर दिखाया है कि यदि मन में दृढ़ इच्छाशक्ति हो तो कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी बदला जा सकता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर उन्होंने अपने परिवार को आर्थिक तंगी से बाहर निकाला है साथ ही महिला सशक्तिकरण की मिसाल भी कायम की है। कुछ वर्ष पूर्व तक ज्योति सिंह का जीवन कृषि कार्य और मजदूरी पर निर्भर था। परिवार की कुल वार्षिक आय मात्र 40 हजार रुपए थी, जिससे बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और घरेलू

ज्योति सिंह के जीवन में नया मोड़ तब आया, जब वे राजमोहनी महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ीं। मिशन के अंतर्गत पहले परिवार की वार्षिक आय

सामुदायिक निवेश निधि तथा 30 हजार रुपए का बैंक ऋण प्राप्त हुआ। इस वित्तीय सहयोग ने ज्योति के जीवन में स्वरोजगार की राह प्रशस्त की। प्राप्त पूंजी का सदुपयोग करते हुए ज्योति सिंह ने परंपरागत खेती के साथ-साथ कपड़ा एवं सिलाई की दुकान की शुरुआत की। उन्नत कृषि पद्धतियों को अपनाकर उन्होंने अपनी कृषि आय को 30 हजार से बढ़ाकर 60 हजार रुपए किया। साथ ही कपड़ा एवं सिलाई व्यवसाय से उन्हें प्रतिवर्ष लगभग 70 हजार रुपए की अतिरिक्त आय होने लगी। ज्योति के मेहनत और लगन, प्रयासों के परिणामस्वरूप जहाँ पहले परिवार की वार्षिक आय

एसआईआर 2026 के अंतर्गत सुनवाई और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया 14 तक जिले के प्रेमनगर और भटगांव में शत-प्रतिशत नोटिसों की हुई सुनवाई

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन
सूरजपुर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01 जनवरी के संदर्भ में जिले में मतदाता सूची को शुद्ध, पारदर्शी एवं त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया तीव्र गति से संचालित की जा रही है। एसआईआर के अंतर्गत ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 23 दिसंबर 2025 को किया गया था। इसके उपरांत दावे एवं आपत्तियाँ प्राप्त करने की प्रक्रिया 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक पूर्ण की गई। वर्तमान में प्राप्त दावों एवं आपत्तियों पर सुनवाई तथा दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया 14 फरवरी 2026 तक जारी है। एसआईआर की गणना चरण के दौरान प्राप्त गणना प्रपत्रों के आधार पर, जिन मतदाताओं का

मिलान वर्ष 2003 की विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची से नहीं हो पाया, उन्हें संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नियमानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किए गए। सभी संबंधित मतदाताओं को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया। सुनवाई के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य 13 निर्धारित दस्तावेजों में से आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। नियमानुसार सुनवाई एवं दस्तावेजों के परीक्षण के पश्चात, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने अथवा न किए जाने का अंतिम निर्णय लिया जा रहा है। यह

प्रक्रिया 14 फरवरी तक जारी रहेगी। अब तक जिले के तीनों विधानसभा में जारी किए गए नोटिसों में प्रेमनगर व भटगांव सझा की गई, ताकि राजनीतिक दलों द्वारा सूचियों का अवलोकन कर पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने एवं अपात्र

सकता है मतदाता की मृत्यु होने पर, मतदाता के निवास स्थान का स्थायी रूप से अन्यत्र स्थानांतरण होने पर और मतदाता का नाम दोहरा दर्ज होने की स्थिति में यदि कोई मतदाता निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्णय से असहमत है, तो अधिनियम के तहत उन्हें अपील करने का अधिकार प्राप्त है। प्रथम अपील - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 24(क) के तहत जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) के समक्ष।

विधानसभा अंतर्गत शत-प्रतिशत नोटिसों की सुनवाई पूर्ण कर ली गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रतापपुर विधानसभा में भी नोटिस की सुनवाई अपने अंतिम पड़ाव पर है, जिसे शीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा। ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद दावा-आपत्ति अवधि के दौरान जिन वैध मतदाताओं का नाम सूची में शामिल नहीं था, उन्होंने नाम जोड़ने के लिए प्रपत्र-6, मतदाता विवरण में सुधार हेतु घोषणा पत्र सहित प्रपत्र-8 तथा नाम विलोपन अथवा आपत्ति के लिए घोषणा पत्र सहित प्रपत्र-7 प्रस्तुत किए। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दावा-आपत्ति अवधि के दौरान विधानसभा स्तर पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा साप्ताहिक बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों में प्रति सप्ताह प्राप्त दावों एवं आपत्तियों की सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ

प्रक्रिया 14 फरवरी तक जारी रहेगी। अब तक जिले के तीनों विधानसभा में जारी किए गए नोटिसों में प्रेमनगर व भटगांव सझा की गई, ताकि राजनीतिक दलों द्वारा सूचियों का अवलोकन कर पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने एवं अपात्र

मतदाताओं के नाम विलोपन की प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग प्रदान किया जा सके। दावों एवं आपत्तियों की सुनवाई तथा सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात पात्र पाए गए आवेदनों का विधिवत निस्तारण किया जा रहा है। तथा 21 फरवरी 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान प्राप्त सभी दावा-आपत्तियों की सूची मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ की आधिकारिक वेबसाइट <https://ceocg.gov.in> पर उपलब्ध है, जिसका अवलोकन राज्य का कोई भी नागरिक कर सकता है। मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 22 के अंतर्गत, किसी भी मतदाता का नाम केवल निम्नलिखित तीन विशेष परिस्थितियों में ही हटाया जा

द्वितीय अपील - प्रथम अपील के निर्णय से असंतोष होने पर धारा 24(ख) के अंतर्गत मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष कर सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, 1960 के नियम 27 में निहित प्रावधानों के अनुसार ही निष्पादित की जाती है। एसआईआर एक नियमित, निष्पक्ष एवं विश्वसनीय प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य किसी भी पात्र मतदाता को वंचित करना नहीं, बल्कि मतदाता सूची को अधिक विश्वसनीय एवं पारदर्शी बनाना है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ यशवंत कुमार ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों अथवा भ्रामक सूचनाओं से बचें तथा केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। मतदाता सूची से संबंधित किसी भी सहायता के लिए नागरिक निर्वाचन आयोग की वेबसाइट, संबंधित बीएलओ अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

संपर्क करें
समाचार, ईशतहार, विज्ञापन
हेतु संपर्क करें।
दैनिक छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन
गौरव पथ, गुरुद्वारा के पास बाबूपारा
अम्बिकापुर
मो. 7566950555
9713108088

सरगुजा फ्रंटलाइन

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनांतर्गत अम्बिकापुर में 260 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न

मुख्यमंत्री ने वर्चुअल वदंपतियों को दिया आशीर्वाद, विविध परंपराओं से संपन्न हुआ विवाह

छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर। महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत मंगलवार को जिला मुख्यालय अम्बिकापुर स्थित पीजी कॉलेज के हॉकी मैदान में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। सामाजिक समरसता, परंपरा और सादगी का अद्भुत संगम बने इस आयोजन में कुल 260 नवविवाहित जोड़ों का विधि-विधान से विवाह संपन्न कराया गया। कार्यक्रम में गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव मुख्य अतिथि के रूप में



उपस्थित रहे। इस अवसर पर महापौर मंजूषा भगत, नगर निगम सभापति हरिमन्दर सिंह टिन्नी सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में परिजन शामिल हुए। अतिथियों ने नवदम्पतियों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए उनके सुखद, समृद्ध एवं सफल वैवाहिक

जीवन की कामना की। सामूहिक विवाह समारोह में सामाजिक सौहार्द की सुंदर मिसाल देखने को मिली। कुल 260 जोड़ों में से 192 जोड़ों का विवाह हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार वैदिक मंत्रोच्चारण एवं पारंपरिक विधि-विधान से सम्पन्न हुआ, वहीं 68 जोड़ों का विवाह ईसाई परंपरा के

अनुसार हुआ। दोनों ही प्रक्रिया के लिए पृथक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई थीं, जिससे सभी समुदायों की धार्मिक मान्यताओं का सम्मान किया जा सके। सामूहिक विवाह समारोह प्रदेश स्तर पर एक साथ आयोजित कार्यक्रम का हिस्सा था। रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े द्वारा वर्चुअल माध्यम से नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान किया गया। अम्बिकापुर में आयोजित कार्यक्रम में भी इस अवसर का सीधा प्रसारण किया गया, जिससे नवदम्पति एवं उनके

राजमाता की छठवीं पुण्यतिथि पर राजीव भवन में दी गई श्रद्धांजलि, महामाया मंदिर में हुआ भंडारा

छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर। राजमाता स्व. श्रीमति देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव की छठवीं पुण्यतिथि पर मंगलवार को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय राजीव भवन में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान उनके ज्येष्ठ पुत्र पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं सरगुजा रियासत के महाराज टीएस सिंहदेव भी उपस्थित थे। राजमाता का निधन वर्ष 2020 में लंबी बीमारी के उपरांत हो गया था। उनका जन्म हिमाचल प्रदेश के जबल राज परिवार में हुआ था। अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव एवं सरगुजा महाराज स्व. एमएस सिंह देव से विवाह के बाद वे सरगुजा आई थीं। सरगुजा में उन्होंने पूरा वक्त बिताया, यहीं से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी। कांग्रेस की राष्ट्रीय नेत्री स्व. देवेन्द्र कुमारी सिंह देव एक बार अम्बिकापुर और एक बार बैकुंठपुर से विधायक रहीं। अविभाजित मध्य प्रदेश में प्रकाशचंद्र सेठी व अर्जुन सिंह के मंत्रीमंडल की वे मंत्री रहीं। उन्हें आवास, पर्यावरण, मध्यम सिंचाई, वित्त विभाग की जवाबदारी दी गई थी। महाराज स्व. एमएस सिंहदेव के शासकीय सेवा में होने के कारण उन्होंने सरगुजा जिले की सभी राजनैतिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को संभाल लिया था। 70 और 80 के दशक में एक महिला होने के बावजूद उन्होंने तत्कालीन सरगुजा जिले के चम्पे-चम्पे का दौरा कर औपचारिक रूप से कांग्रेस के मजबूत संगठन की आधारशिला रखी थी। उनकी राजनैतिक स्मृतियों को याद करते हुए पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि आज से 50-60 वर्ष पूर्व के राजनैतिक दौर में उन्होंने संगठन विस्तार के दौरान जिन राजनैतिक युवा तुकों को संवारा था वे आज सरगुजा में कांग्रेस के



अगुआ हैं। राजीव भवन में श्रद्धांजलि उपरांत प्रतीक्षा बस स्टैंड चौक पर पूर्व महाराज स्व. एमएस सिंहदेव एवं स्व. राजमाता श्रीमति देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव के युगल प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके उपरांत मां महामाया मंदिर में आयोजित भंडारे में पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रसाद वितरण किया। इस दौरान डॉ. प्रेमसाय सिंह, अजय अग्रवाल, जेपी श्रीवास्तव, डॉ. अजय तिकरी, राकेश गुप्ता, हेमंत सिन्हा, मो. इस्लाम, विनय शर्मा, इंद्रजीत सिंह धंजल, सत्येन्द्र तिवारी, जगन्नाथ कुशवाहा, मधु दिक्षित, इरफान सिद्दीकी, मुनेश्वर राजवाड़े, दुर्गेश गुप्ता, सीमा सोनी, हेमंत तिवारी, संजय विश्वकर्मा, एपी सांडिल्य, रसीद अहमद अंसारी, विजेन्द्र गुप्ता, लालचंद यादव, लक्ष्मी गुप्ता, सी. अनिल, सुधांशु गुप्ता, फूलसाय लकडा, संजय सिंह, शान्तनु मुखर्जी, संजीव मंदिलवार, अनूप मेहता, आशीष वर्मा, जीवन यादव, सुभाष जायसवाल, मो. बाबर, मेराज रंगरेज, दुर्गा गुप्ता, रही गजाला, चंचला सांडिल्य, हमीदा, शकीला सिद्दीकी सहित अन्य उपस्थित थे।

पीएमएफएमई योजनांतर्गत उद्यमिता जागरूकता शिविर संपन्न

छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के तहत जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, अम्बिकापुर द्वारा 05 फरवरी को जनपद पंचायत सभाकक्ष उदयपुर में एक दिवसीय उद्यमिता जागरूकता शिविर का सफल आयोजन किया गया।

शिविर में विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम तथा औद्योगिक विकास नीति 2024-30 को विस्तृत जानकारी उद्यमियों को प्रदान की गई। इस अवसर पर विभागीय अधिकारियों अश्विनी शुक्ला (प्रबंधक), सुयोग्य कुमार साहू (सहायक प्रबंधक), सदीप पन्ना (सहायक प्रबंधक) तथा जुही सख्वा (बीपीएम) ने योजनाओं के प्रावधान, पात्रता, अनुदान एवं ऋण प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी। जागरूकता शिविर में खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े स्वयं सहायता समूहों, व्यक्तिगत इकाइयों तथा कार्यरत उद्यमियों को योजनाओं का लाभ लेने हेतु प्रेरित किया गया। अधिकारियों ने अधिक से अधिक नवीन प्रकरण तैयार कर ऋण स्वीकृति प्राप्त करने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को पीएमएफएमई योजना एवं अन्य विभागीय योजनाओं से संबंधित पम्पलेट एवं प्रोपेगंडा वितरित किए गए, जिससे वे योजनाओं की जानकारी का लाभ लेकर अपने उद्यम स्थापित या विस्तारित कर सकें। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के मुख्य महाप्रबंधक ने बताया कि इस प्रकार के जागरूकता शिविरों का उद्देश्य जिले में सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को प्रोत्साहित कर स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाना है।

पलंग से गिरकर चोटिल हुए बच्चे की इलाज दौरान मौत
छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर। पलंग से गिरकर चोटिल हुए 9 माह के बच्चे को इलाज के दौरान मौत हो गई। मासूम की मौत से स्वजन में शोक का माहौल है। जानकारी के मुताबिक कोरिया जिले के महारा, सोनहत निवासी जितेन्द्र सूर्यवंशी का नौ माह का पुत्र सूर्या सूर्यवंशी 8 फरवरी को दोपहर करीब 2.30 बजे घर में पलंग पर सो रहा था। इसी बीच खिसकते-खिसकते बच्चा जमीन पर गिर गया और रोने लगा। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर स्वजन पहुंचे तो वह पलंग से नीचे गिरकर जखमी हो गया था। किसी तरह वे बच्चे को शांत कराए, लेकिन पलंग से नीचे गिरने के कारण संभवतः बच्चे की अंदरूनी चोट आई थी। लगातार रोने और तबियत बिगड़ते देखकर स्वजन उसे नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र ले गए, यहां से प्राथमिक उपचार के बाद रेफर करने पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल अम्बिकापुर लेकर पहुंचे, यहां इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने मृत बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन के सुपुर्द कर दिया है।

महिला फांसी लगाकर खुदकुशी की, मायके पक्ष के लगाया हत्या का आरोप

मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में ससुराल-मायके पक्ष के बीच जमकर झड़प

छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर। शहर के गांधीनगर थाना अंतर्गत फुंदुरडिहारी, महाआपारा में रहने वाली एक विवाहिता फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतिका के पिता सहित अन्य परिवार के सदस्यों ने मृतिका की हत्या करने के बाद फांसी पर लटकाने का आरोप लगाया है। मंगलवार को काफी संख्या में पहुंचे मायके पक्ष के लोग आक्रोशित होकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में ससुराल पक्ष पर भड़क गए और नौबत हाथापाई की बन गई, जिसे पुलिस ने किसी तरह समझाया देकर शांत कराया और पुलिस को कार्रवाई में सहयोग करने के लिए कहा। मूलतः सूरजपुर जिला के लटोरी पुलिस चौकी अंतर्गत द्वारिकानगर बैगापारा निवासी मृतिका के पति गिरधर चौधरी ने पुलिस को दिए बयान में बताया है कि वर्तमान में वह फुंदुरडिहारी, अम्बिकापुर के महाआपारा रहता है। सोमवार, 9 फरवरी को उसके बड़े पुत्र रूद्र चौधरी 10 वर्ष का जन्मदिन था। रूद्र बिना नहाए कहीं घूमने के लिए चले गया था, और दोपहर करीब 12.30 बजे वापस घर आया। बच्चे के घर आने पर उसकी मां फूलकुमारी चौधरी 37 वर्ष,



अभी तक नहाए क्यों नहीं हो, कहते हुए किचन में पकाकर रखे गए चावल को कुकर सहित फेंक दी, जिसमें उसका चेहरा झुलस गया। इसके बाद फूलकुमारी कहीं चली गई थी। काफी देर तक जब वह नजर नहीं आई, तो परिवार के सदस्य उसकी खोजबीन आसपास और घर में करना शुरू किए, तो वह बाथरूम में कंडी के सहारे फांसी पर लटक रही थी। स्वजन फांसी से उतारकर उसे बनारस रोड स्थित गायत्री अस्पताल ले गए, यहां से जांच के बाद रेफर करने पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंचे, यहां आपातकालीन चिकित्सा परिसर में जांच के बाद चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर मृतिका के मायके पक्ष के लोग अस्पताल पहुंचे, और मृत अवस्था में फूलकुमारी को देखकर उनके होश उड़ गए। बहरहाल पुलिस ने मृतिका के शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन के सुपुर्द कर दिया है।

मृतिका के पिता ने लगाया हत्या का आरोप
सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम गुतुरमा निवासी मृतिका फूलकुमारी के पिता तिरथ राम चौधरी का कहना है कि उन्होंने अपनी बेटी का विवाह हरिद्वार में रहने वाले मणिकांत चौधरी से किया था, जो वर्तमान पति गिरधर चौधरी का भाई है। शादी के बाद गिरधर अपनी भाभी को भागकर ले आया था, और पत्नी बतौर साथ रखा था। शुरू में तो इस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की, दो बच्चों के होने के बाद इनके दाम्पत्य जीवन के बीच उन्होंने दखल देना छोड़ दिया। आरोप है कि गिरधर आए दिन उनकी बेटी को मारपीट करते हुए प्रताड़ित करता था, पूर्व में बेटी के मायके आने पर भी वह मारपीट किया था। सोमवार को हाल समाचार लेने के लिए शाम करीब 5.30 बजे जब वे अपनी बेटी के ससुराल में फोन किए तो बड़ा नाती फोन उठाया और कहा कि पापा अभी व्यस्त हैं, बाद में फोन लगाइएगा। इसके बाद उन्हें बेटी के फांसी लगाए का पता चला। मेडिकल कॉलेज अस्पताल आने पर बेटी का शव मर्चुरी में रखा था। इनका आरोप है कि उनकी बेटी फांसी नहीं लगाई है, हत्या के बाद फांसी का रूप देने का प्रयास किया गया है।

झड़प के बीच पुलिस ने मोर्चा संभाला
घटना सामने आने के बाद मंगलवार को मृतिका के मायके पक्ष के लोग मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे। इस दौरान आपातकालीन चिकित्सा परिसर के सामने मृतिका के पति सहित परिवार के अन्य सदस्यों से इनका सामना हो गया, और वे आवेशित हो गए। नौबत मारपीट की बन गई। महिलाओं के साथ अन्य लोग मृतिका के पति पर झपट पड़े, जिससे तनाव की स्थिति निर्मित हो गई। शोर सुनकर अस्पताल के पुलिस सहायता केंद्र में मृतिका के पिता का बयान ले रहे प्रधान आरक्षक फलेन्द्र पैकरा सहित अन्य सहयोगी आरक्षक पहुंचे, और किसी तरह इन्हें शांत कराया। इसके बाद भी काफी देर तक महामाहमी का माहौल बना रहा।

जिला स्तरीय सरगुजा ओलंपिक का गांधी स्टेडियम में भव्य शुभारंभ

छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार खेल प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करने एवं युवाओं में खेल भावना के विकास के उद्देश्य से गांधी स्टेडियम, अम्बिकापुर में मंगलवार को जिला स्तरीय सरगुजा ओलंपिक का भव्य शुभारंभ हुआ। यह प्रतियोगिता 10 से 12 फरवरी 2026 तक आयोजित की जा रही है, जिसमें जिले के सभी विकासखंडों से आए खिलाड़ी उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर निगम महापौर मंजूषा भगत उपस्थित रहीं, अध्यक्षता नगर निगम के सभापति हरिमंदर सिंह टिन्नी ने की। इस अवसर पर वरिष्ठ पार्षद अलोक दुबे, शैलेश कुमार सिंह, रविकांत उरांव, अनिल मेजर सिंह, भारत सिंह मिसौदिया, कलेक्टर अजीत वसंत, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल, जिला पंचायत सीईओ विनय कुमार अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी, जनप्रतिनिधिगण तथा बड़ी संख्या में खेल प्रतिभागी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि महापौर मंजूषा भगत ने कहा कि बस्तर



ओलंपिक की तर्ज पर आयोजित सरगुजा ओलंपिक ग्रामीण क्षेत्रों की छिपी खेल प्रतिभाओं को निखारने का सशक्त मंच है। खेल जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो शरीर और मस्तिष्क दोनों को स्वस्थ रखता है। महापौर ने खिलाड़ियों को खेल भावना की शपथ दिलाई और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं। सभापति हरिमंदर सिंह टिन्नी ने अपने संबोधन में कहा कि खेल युवाओं में अनुशासन, आत्मविश्वास, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता का विकास करता है। उन्होंने खिलाड़ियों से खेल भावना बनाए रखते हुए प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया।

अतिथियों द्वारा खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ किया गया। कलेक्टर अजीत वसंत ने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं युवाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करती हैं। उन्होंने खिलाड़ियों से अनुशासन, समर्पण और खेल भावना के साथ भाग लेने की अपील करते हुए कहा कि जिला प्रशासन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए हरसंभव सहयोग प्रदान करेगा। जिला स्तरीय सरगुजा ओलंपिक में जिले के सभी विकासखंडों से आए खिलाड़ी शामिल हुए।

पुलिस का पीछा देखकर वाहन छोड़कर भागे मवेशी तस्कर

छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर। पुलिस की घेराबंदी देखकर मवेशियों से भरी पिकअप को छोड़कर सवार भागने में सफल हो गए। पुलिस ने पिकअप वाहन को जब्त कर लिया है, और अग्रिम जांच कार्रवाई कर रही है। जानकारी के मुताबिक कोतवाली थाना के एएसआई विवेक पाण्डेय को रात के दौरान सूचना मिली कि पिकअप वाहन क्रमांक जेएच 05 बीएम 6926 में मवेशियों को क्रूरतापूर्वक भरकर झारखंड ले जाया जा रहा है। सूचना पर पुलिस प्रतापपुर रोड से घेराबंदी कर बांसवाड़ी मार्ग की ओर पहुंची थी। आरोपी पिकअप वाहन का चालक खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हुए तेज रफ्तार में पुलिस का घेरा तोड़कर भाग निकला। पुलिस हट्ट बजाते इनके पीछा करने लगी तो सरगवा पैलेस के पास पिकअप वाहन को छोड़कर आरोपी भाग गए। पुलिस ने पिकअप वाहन में पिकअप वाहन के चालक को जबरन बंधक बनाया और उसे अग्रिम कार्रवाई कर रही है। मामले में पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 4, 6, 10 के तहत कार्रवाई की है।

मनरेगा अंतर्गत स्वीकृत 26 आंगनवाड़ी केंद्र भवनों के निर्माण में उदासीनता

ग्राम पंचायतों को स्वीकृति प्रदान की गई

छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर। आंगनवाड़ी केंद्रों में नौनिहालों को सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले के ऐसे आंगनवाड़ी केंद्र जिनके पास भवन नहीं थे या क्षतिग्रस्त स्थिति में थे, उनका निर्माण कार्य कराया जा रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं महिला बाल विकास विभाग के अभिसरण से जिले में कुल 393 आंगनवाड़ी भवनों की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। जानकारी के अनुसार वर्ष 2024 में 393 भवनों की स्वीकृति किए जाने हेतु आदेश प्राप्त हुआ था, जिस पर 343 में महिला बाल विकास विभाग के 1.69 लाख रुपये एवं डी.एम.एफ. से 50 कार्यों हेतु अभिसरण राशि प्राप्त हुई थी। स्वीकृत 393 आंगनवाड़ी केंद्र भवनों में से 26 भवनों के निर्माण कार्य में उदासीनता पर जिला प्रशासन द्वारा भवनों को निरस्त कर अन्य पंचायतों में स्वीकृति दी गई है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विनय अग्रवाल ने बताया कि आंगनवाड़ी भवन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में सरपंचों द्वारा उदासीनता बरते जाने के कारण उन्हें निरस्त किया गया, जबकि उन्हें बराबर समय दिया गया, इन कार्यों में राशि की किसी भी प्रकार की अनुपलब्धता नहीं थी। सभी निर्माण कार्यों में एंजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि किसी भी कार्य की स्वीकृति के बाद सप्ताह भर में कार्य प्रारंभ कर 03 से 06 माह में उसे पूर्ण करें। यदि एंजेंसियों द्वारा समय पर कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है तो उसे निरस्त कर अन्यत्र स्वीकृत कर दिया जाएगा।

इन आंगनवाड़ी केंद्रों को किया गया निरस्त
मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2024-25 में स्वीकृत आंगनवाड़ी भवनों को एक वर्ष बाद भी कई ग्राम पंचायतों के सरपंच सचिव द्वारा रूचि लेकर प्रारंभ नहीं कराए जाने के कारण चार चरणों में निरस्त किया गया। इसके तहत प्रथम चरण में 08 आंगनवाड़ी भवन जनपद पंचायत अम्बिकापुर के खलिवा, दरिमा, मुडेसा, घंघरी तथा मैनपाट का जजगा, बतौली का गहिला, बासेन एवं नकना। द्वितीय चरण में 03 अम्बिकापुर के कोलिडहा, मांझापारा, क्रांतिप्रकाशपुर। तृतीय चरण में 08 अम्बिकापुर के भफौली एवं पौडिया, लुण्डा का अगासी, मैनपाट का चिड़ापारा, सीतापुर का प्रतापगढ़ एवं रजौटी, बतौली का गहिला एवं चिरंगा। चतुर्थ चरण में 07 अम्बिकापुर के परसेडीखुर्द एवं देवगढ़, लुण्डा का केपी एवं चितरपुर, बतौली का सरमान एवं बतौली, मैनपाट के पेट को निरस्त किया गया। कुल 26 आंगनवाड़ी भवनों को निरस्त कर विकासखण्ड अम्बिकापुर, लखनपुर, लुण्डा के ग्राम पंचायतों में स्वीकृति प्रदान की गई है।

फाइलरिया उन्मूलन कार्यक्रम अंतर्गत सामूहिक दवा सेवन अभियान का शुभारंभ

छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर। शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवापारा में मंगलवार को राष्ट्रीय फाइलरिया उन्मूलन कार्यक्रम अंतर्गत सामूहिक दवा सेवन अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव, नगर निगम अम्बिकापुर की महापौर मंजूषा भगत, स्थानीय जनप्रतिनिधि, शहरी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. शोला नेताम, शहरी सुपरवाइजर अनिल कुमार पांडेय, धनेश प्रताप सिंह सहित अस्पताल के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने स्वयं फाइलरिया रोधी दवाएं एल्बेन्डाजोल, डी.ई.सी. एवं इवमेक्टिन का सेवन कर लोगों को दवा सेवन करने प्रोत्साहित किया। अभियान के अंतर्गत शहरी क्षेत्र अम्बिकापुर में कुल 300



टीमों का गठन किया गया है, जिनके द्वारा सभी आंगनवाड़ी केंद्रों एवं विद्यालयों में बूथ स्थापित कर दवा वितरण किया जा रहा है। बता दें कि अभियान अंतर्गत 10, 11 एवं 12 फरवरी 2026 को बूथों के माध्यम से दवा सेवन कराया जाएगा। 13 फरवरी से 23 फरवरी 2026 तक दवा प्रशासकों द्वारा घर-घर जाकर दवा खिलाई जाएगी। वहीं 24 एवं 25 फरवरी 2026 को छूटे हुए पात्र व्यक्तियों को दवा सेवन कराया जाएगा।